



The Agriculture University, Kota Act, 2013

Act 22 of 2013

Keyword(s):

Agriculture University, Kota, Academic Council, Agriculture, Affiliated College, University, Extension Education Council, Teacher

Amendment appended: 1 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 23, शनिवार, शाके 1935—सितम्बर 14, 2013
Bhadra 23, Saturday, Saka 1935—September 14, 2013

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 14, 2013

संख्या प. 2 (54) विधि/2/2013:—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 22)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में कोटा में कृषि विज्ञान के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को और से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
- (ख) "कृषि" में निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित आधारभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान सम्मिलित हैं:-
- (i) प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध;
 - (ii) मिट्टी और जल प्रबन्ध;
 - (iii) फसल अभिवृद्धि और उत्पादन और संरक्षण;
 - (iv) उद्यान-कृषि, अर्थात् फल, सब्जियां, पुष्प-विज्ञान, मसाले और औषधीय पौधे और रोपण फसलें;
 - (v) डेयरी और खाद्य विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी और पशु उत्पाद प्रौद्योगिकी;
 - (vi) मत्स्य पालन;
 - (vii) वानिकी, फार्म वानिकी, वन प्रबन्ध और वन संवर्धन;
 - (viii) कृषि अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी;
 - (ix) फसल कटने के पश्चात् की प्रौद्योगिकी जिसमें प्रसंस्करण और विपणन सम्मिलित हैं;
 - (x) भूमि उपयोग योजना और प्रबन्ध;
 - (xi) रेशम-उत्पादन जिसमें शहतूत-उत्पादन सम्मिलित है;
 - (xii) मधुमक्खी-पालन;
 - (xiii) गृह विज्ञान;
 - (xiv) कृषि-कारबार प्रबन्ध;
 - (xv) कृषि के सम्बन्ध में आधारभूत विज्ञान और मानविकी; और
 - (xvi) कृषि प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विषय;
- (ग) "संबद्ध महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय या संस्थान जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, अभिप्रेत है;
- (घ) "प्राधिकारी" से विश्वविद्यालय का इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ङ) "बोर्ड" से विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

- (च) "महाविद्यालय" से कोई संघटक महाविद्यालय या कोई संबद्ध महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (छ) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;
- (ज) "नियन्त्रक" से विश्वविद्यालय का नियन्त्रक अभिप्रेत है;
- (झ) "घटक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (ञ) "संकायाध्यक्ष" से संकाय का अध्यक्ष या घटक महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ट) "निदेशक" से निदेशक, प्राथमिकता, मानीटरी और मूल्यांकन, निदेशक, अनुसंधान, निदेशक, विस्तार-शिक्षा, निदेशक, मानव संसाधन विकास, निदेशक, छात्र कल्याण और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के ऐसे अन्य निदेशक, अभिप्रेत हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर सृजित करे;
- (ठ) "विस्तार शिक्षा परिषद्" से विश्वविद्यालय की विस्तार शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;
- (ड) "संकाय" से इस अधिनियम और परिनियमों में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;
- (ढ) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (ण) "राज्यपाल" से राजस्थान राज्य का राज्यपाल अभिप्रेत है;
- (त) "अध्यक्ष" से किसी विषय के विभाग या खण्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (थ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास का ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जो, या तो विश्वविद्यालय के भाग के रूप में, या उससे पृथक् रूप में विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या मान्यताप्राप्त हो;
- (द) "अधिकारी" से इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय में नियोजित ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे परिनियमों द्वारा अधिकारी घोषित किया गया हो;

- (ध) "विहित" से विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा यथा विहित अभिप्रेत है;
- (न) "कुल-सचिव" से विश्वविद्यालय का कुल-सचिव अभिप्रेत है;
- (प) "विनियम" से धारा 44 के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;
- (फ) "अनुसंधान परिषद्" से विश्वविद्यालय की अनुसंधान परिषद् अभिप्रेत है;
- (ब) "परिनियम" से धारा 43 के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत हैं;
- (भ) "छात्र" से किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता हेतु कोई पाठ्यक्रम लेने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (म) "अध्यापक" से शिक्षा प्रदान करने और/या अनुसंधान का संचालन और मार्गदर्शन करने के लिए और/या विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्य सहायक आचार्य से अनिम्न रैंक का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिनियमों द्वारा अध्यापक के रूप में घोषित कोई भी अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;
- (य) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन यथास्थापित और गठित कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अभिप्रेत है;
- (यक) "कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है; और
- (यख) "आंचलिक स्टेशन या प्रादेशिक स्टेशन" से विश्वविद्यालय का आंचलिक या प्रादेशिक स्टेशन अभिप्रेत है।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय और कुलाधिपति

3. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.- (1) राजस्थान राज्य में कोटा में कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय में एक कुलाधिपति, एक कुलपति, एक प्रबन्ध बोर्ड, एक विद्या परिषद् और ऐसे अन्य प्राधिकारी और अधिकारी

होंगे, जो इस अधिनियम में उपवर्णित हैं या जो परिनियमों में उपबन्धित हैं।

(3) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(4) विश्वविद्यालय, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उसमें निहित की जाये या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अन्तरित करने के लिए और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किन्हीं भी अन्य स्रोतों से धन उधार लेने के लिए सक्षम होगा और वह संविदा कर सकेगा और ऐसी सभी अन्य बातें कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध किये जाने वाले सभी वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन कुल-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुल-सचिव को जारी और उस पर तामील की जायेंगी।

(6) विश्वविद्यालय का मुख्यालय कोटा में होगा।

4. क्षेत्रीय अधिकारिता.- (1) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर अध्यापन, इस अधिनियम में मोटे रूप से यथा परिभाषित कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में, इस विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता और उत्तरदायित्व का विस्तार, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 39), महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 8) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होने पर भी कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर और करौली जिलों में होगा।

(2) विश्वविद्यालय कृषि, मत्स्य पालन, रेशम-उत्पादन और वानिकी प्रशिक्षण या शिक्षा केन्द्रों और अनुसंधान तथा प्रयोग केन्द्रों के अनुरक्षण और क्षेत्र विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम, और ऐसे

केन्द्रों की स्थापना, विकास और प्रचालन का, जिनकी राज्य के विभिन्न भागों में आवश्यकता हो, उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय बहु विषयक पद्धति वाली अनुसंधान परियोजनाओं और शैक्षणिक कार्यक्रमों में अन्य विश्वविद्यालयों और ख्यातिप्राप्त संस्थानों से सहयोग कर सकेगा।

(4) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा,-

(क) विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी संस्थान या महाविद्यालय से, विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता या अपने विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम द्वारा गठित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्:-

(क) अध्ययन की भिन्न-भिन्न शाखाओं में, विशिष्टतः कृषि, उद्यान-कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, कृषि अभियांत्रिकी, गृह विज्ञान, आधारभूत विज्ञान और विद्या तथा विद्वता की अन्य सहबद्ध शाखाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध करना;

(ख) विद्या का अभिवर्धन और अनुसंधान का संचालन, विशिष्टतः कृषि और अन्य सहबद्ध विज्ञानों में, करना;

- (ग) ऐसे विज्ञानों और प्रौद्योगिकियों की विस्तार शिक्षा को हाथ में लेना, विशेषतः राज्य की ग्रामीण जनता के लिए; और
- (घ) ऐसे अन्य उद्देश्य जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।

6. विश्वविद्यालय में प्रवेश.-(1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन, सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा:

परन्तु इस धारा में की कोई भी बात विश्वविद्यालय से ऐसे किसी व्यक्ति को जो प्रवेश के लिए विहित शैक्षणिक स्तरमानों की पूर्ति नहीं करता हो, अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश देने या ऐसे व्यक्तियों को विश्वविद्यालय की नामावलियों में बनाये रखने की अपेक्षा नहीं करेगी जिनके शैक्षणिक रिकार्ड कोई उपाधि प्रदान किये जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम स्तर से नीचे के हों या जिनका व्यक्तिगत आचरण इस प्रकार का हो जो कि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के या अन्य छात्रों और कर्मचारिवृन्द के समुचित अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रतिकूल हो:

परन्तु यह और कि इस धारा की किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा करे कि वह अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्या परिषद् द्वारा यथा अवधारित विश्वविद्यालय या किसी विशिष्ट महाविद्यालय या विभाग में उपलब्ध संकायों में जितने छात्रों को स्थान दिया जा सकता है, उससे अधिक को स्थान दे ।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों के अध्यक्षीन, विश्वविद्यालय, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों या भारत के अन्य राज्यों में के अभ्यर्थियों के लिए स्थान आरक्षित करेगा :

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित स्तरमानों की पूर्ति नहीं करता हो ।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.- विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा:-

- (क) धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन मोटे तौर पर यथा परिभाषित कृषि में, और विद्या की अन्य सहबद्ध शाखाओं में, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए उपबंध करना;
- (ख) कृषि और विद्या की सहबद्ध शाखाओं में अनुसंधान के संचालन के लिए उपबंध करना;
- (ग) विस्तार शिक्षा कार्यक्रम के जरिये अनुसंधान के निष्कर्षों के और तकनीकी जानकारी के प्रचार के लिए उपबंध करना;
- (घ) पाठ्यक्रम संस्थित करना और परीक्षाएं आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, जिन्होंने विश्वविद्यालय में विहित पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन या अनुसंधान किया है, या दोनों किये हैं, जिसमें किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थानों में तत्प्रयोजनार्थ चलाये गये आंशिक पाठ्यक्रम और/या अनुसंधान भी सम्मिलित हैं;
- (ङ) ऐसी सम्मानिक उपाधियां और अन्य विशेष उपाधियां प्रदान करना जो विहित की जायें;
- (च) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न किये गये महाविद्यालयों और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना, और ऐसे विशेषाधिकारों में से समस्त या किसी विशेषाधिकार को वापस लेना;
- (छ) विश्वविद्यालय में नियमित छात्रों के रूप में नामांकित नही किये गये क्षेत्र कार्यकर्ताओं, ग्राम नेताओं और अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (ज) धारा 4 में उपवर्णित परिसीमाओं के अधीन रहते हुए अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों से ऐसी

रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग करना, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;

- (झ) कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, कृषि अभियांत्रिकी, वानिकी और सहबद्ध विज्ञानों से संबंधित महाविद्यालयों, विद्यालयों, केन्द्रों, खण्डों, विभागों, संस्थानों को स्थापित करना और चलाना;
- (ञ) अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के लिए प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, अनुसंधान स्टेशन और, संस्थान और संग्रहालय स्थापित करना और चलाना;
- (ट) अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा संबंधी पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (ठ) प्रशासनिक और अन्य पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (ड) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं और पारितोषिक संस्थित और प्रदत्त करना;
- (ढ) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारिवृन्द के लिए निवासी वास-सुविधाएं संस्थित करना और उन्हें बनाये रखना;
- (ण) ऐसी फीसों और अन्य प्रभार नियत करना, मांगना और प्राप्त करना, जो विहित किये जायें;
- (त) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण और अनुशासन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि करने की व्यवस्था करना; और
- (थ) ऐसे समस्त कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या नहीं ।

8. कुलाधिपति.- (1) राजस्थान राज्य का राज्यपाल, अपने पदाभिधान से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा ।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा और जब वह उपस्थित रहे, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(3) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव, कुलाधिपति द्वारा पुष्टि किये जाने के अधीन होगा ।

(4) कुलाधिपति स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, किसी भी कार्यवाही के संबंध में, ऐसी कार्यवाही की नियमितता या उसमें किये गये किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी का अभिलेख मंगवा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा, और यदि किसी भी मामले में कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे विनिश्चय या आदेश को उपांतरित, बातिल किया जाना, उलटा जाना, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुलाधिपति को प्रत्येक आवेदन, उस तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर किया जायेगा जिसको वह कार्यवाही, विनिश्चय या आदेश जिससे कि आवेदन संबंधित है, आवेदक को संसूचित किया गया था:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(5) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें ।

9. परिदर्शन और निरीक्षण.- (1) कुलाधिपति को, राज्य सरकार की सलाह पर या स्वप्रेरणा से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्करों और विश्वविद्यालय की किन्हीं भी संघटक इकाइयों का निरीक्षण करवाने

का अधिकार होगा और उसी रीति से वह विश्वविद्यालय से संसक्त किसी भी मामले की जांच करवा सकेगा ।

(2) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय की सम्यक् सूचना विश्वविद्यालय को देगा ।

(3) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संदर्भ में संसूचित करेगा, और उस पर दी गयी विश्वविद्यालय की राय का अभिनिश्चयन करने के पश्चात् विश्वविद्यालय को, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देगा और ऐसी कार्रवाई की जाने के लिए समय-सीमा नियत करेगा ।

(4) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत की गयी समय-सीमा के भीतर-भीतर, कुलाधिपति को, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित उस कार्रवाई की रिपोर्ट देगा ।

(5) जहां विश्वविद्यालय द्वारा, नियत समय-सीमा के भीतर-भीतर कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं की गयी हो वहां, और विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी भी समय कुलाधिपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के कार्यकलाप किसी भी रूप में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए या इस अधिनियम, परिनियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार संचालित नहीं किये जाते हैं या विश्वविद्यालय में अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान या विस्तार के स्तरमानों को बनाये रखने के लिए विशेष उपाय वांछनीय हैं तो वह विश्वविद्यालय को ऐसा कोई भी मामला उपदर्शित कर सकेगा जिसके सम्बन्ध में वह स्पष्टीकरण चाहता है और विश्वविद्यालय से ऐसे स्पष्टीकरण, ऐसे समय के भीतर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, देने की अपेक्षा करेगा। यदि विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है या ऐसा स्पष्टीकरण देता है, जो कुलाधिपति की राय में समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति, ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो

उसे मामले की परिस्थितियों में आवश्यक और वांछनीय प्रतीत हों और ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इन अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

(7) विश्वविद्यालय अपने प्रशासन के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी देगा, जिसकी कुलाधिपति अपेक्षा करे ।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

10. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:-

- (i) प्रबन्ध बोर्ड;
- (ii) विद्या परिषद्;
- (iii) अनुसंधान परिषद्;
- (iv) विस्तार शिक्षा परिषद्;
- (v) वित्त समिति;
- (vi) संकाय, जिनमें स्नातकोत्तर अध्ययन और उनके अध्ययन बोर्ड सम्मिलित हैं;
- (vii) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाये ।

11. प्रबन्ध बोर्ड और उसका गठन.- (1) कुलाधिपति, प्रथम कुलपति की नियुक्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, प्रबन्ध बोर्ड का गठन करेगा ।

(2) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे:-

- (i) कुलपति पदेन अध्यक्ष;
- (ii) प्रभारी शासन सचिव, कृषि विभाग या पदेन सदस्य; उसका उप सचिव से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती
- (iii) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग या पदेन सदस्य; उसका उप सचिव से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती
- (iv) प्रभारी शासन सचिव, उच्च शिक्षा पदेन सदस्य; विभाग या उसका उप सचिव से

अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती

- (v) प्रभारी शासन सचिव, पशुपालन विभाग पदेन सदस्य;
या उसका उप सचिव से अनिम्न रैंक
का नामनिर्देशिती
- (vi) राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष सदस्य;
द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला
राजस्थान विधानसभा का एक सदस्य
- (vii) कृषि के क्षेत्र से, सरकार द्वारा सदस्य;
नामनिर्देशित किये जाने वाले दो
प्रख्यात शिक्षाविद्/वैज्ञानिक
- (viii) विश्वविद्यालय की अधिकारिता में से सदस्य;
सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने
वाला एक प्रगतिशील किसान
- (ix) सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने सदस्य;
वाला एक विशिष्टताप्राप्त कृषि-
उद्योगपति
- (x) सरकार द्वारा नामनिर्देशित की जाने सदस्य;
वाली एक उत्कृष्ट महिला समाज
सेविका, जिसकी पृष्ठभूमि ग्रामीण
उन्नति से सम्बन्धित हो
- (xi) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक सदस्य;
प्रतिनिधि
- (xii) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने सदस्य;
वाला एक निदेशक
- (xiii) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने सदस्य;
वाला एक संकायाध्यक्ष
- (xiv) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने सदस्य;
वाला एक आचार्य
- (xv) कुल- सचिव सचिव ।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति
“प्रभारी शासन सचिव” से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव

अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(3) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

(4) बोर्ड की कोई भी कार्रवाई या कार्यवाहियां, बोर्ड के गठन में किसी भी रिक्ति की विद्यमानता या त्रुटि मात्र के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

(5) बोर्ड की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों से होगी:

परन्तु यदि बोर्ड की कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी जाती है, तो वही कार्य करने के लिए बुलायी गयी अगली बैठक में कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(6) विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भिन्न बोर्ड के सदस्य इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसे दैनिक और यात्रा भत्तों के सिवाय, जो विहित किये जायें, किसी भी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।

(7) विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उप-धारा (2) के खण्ड (vii) से (xi) के अधीन बोर्ड का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा।

(8) बोर्ड, परामर्श के प्रयोजन के लिए विचाराधीन किसी विषय का अनुभव या विशेष ज्ञान रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसी बैठक की कार्यवाहियों में बोल सकेगा या अन्यथा भाग ले सकेगा, किन्तु मत देने का हकदार नहीं होगा, तथापि, वह बैठक में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो विहित किये जायें।

(9) सामान्यतः बोर्ड, कुलपति द्वारा नियत की जाने वाली तारीखों पर, प्रत्येक तीन मास में एक बार बैठक करेगा तथापि, कुलपति, बोर्ड की विशेष बैठक, जब कभी वह उचित समझे, बुला सकेगा और, बोर्ड के पांच से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यक्षता पर बुलायेगा।

12. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.- (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, बोर्ड, विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक निकाय होगा और विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और कार्यकलापों का प्रबंध और पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय के ऐसे समस्त प्रशासनिक मामलों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हों ।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

- (i) विश्वविद्यालय की वित्तीय अपेक्षाओं, प्राक्कलनों और बजट पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना;
- (ii) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारित और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण निदेश जारी करना;
- (iii) विश्वविद्यालय की ओर से कोई संपत्ति स्वीकार या अन्तरित करना;
- (iv) आशयित प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी निधियों को प्रशासित करना;
- (v) विश्वविद्यालय की निधियों के विनिधान और प्रत्याहरण के लिए व्यवस्था करना;
- (vi) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से पूंजीगत विनिधान के लिए धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय की उचित व्यवस्था करना;
- (vii) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत और दान स्वीकार करना;
- (viii) जहां कहीं भी अपेक्षित हो, विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद् और विस्तार शिक्षा परिषद् की सिफारिशों पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना;
- (ix) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के स्वरूप और उपयोग के बारे में निदेश देना;

- (x) ऐसी समितियां और निकाय नियुक्त करना जो वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अनुसार उनके निर्देश-निबंधन लिपिबद्ध करना;
- (xi) विद्या परिषद् की सिफारिश पर महाविद्यालयों और संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना और ऐसी संबद्धता को वापस लेना;
- (xii) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर किसी नये विभाग, खण्ड, केन्द्र या अनुसंधान स्टेशन या उपकेन्द्र की स्थापना या उनमें से किसी की भी समाप्ति या विभाग या खण्डों, अनुसंधान स्टेशनों या केन्द्र के अन्यथा पुनर्गठन पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना;
- (xiii) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर किसी नये महाविद्यालय संकाय की स्थापना, दो या अधिक घटक महाविद्यालयों या संकायों का एकल घटक महाविद्यालय या संकाय में आमेलन या किसी महाविद्यालय या संकाय की समाप्ति या विद्यमान किन्हीं भी संकायों के पुनर्गठन पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना; और
- (xiv) विश्वविद्यालय में अधिकारियों, अध्यापकों, सहायक कुल-सचिव और ऊपर की रैंक के कर्मचारियों की विहित रीति से नियुक्ति के लिए चयन समिति की सिफारिशों का अनुमोदन करना ।

13. विद्या परिषद्- (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे,
अर्थात्:-

- | | | |
|-------|------------------------------------------|------------------|
| (i) | कुलपति | पदेन
अध्यक्ष; |
| (ii) | निदेशक, अनुसंधान | पदेन सदस्य; |
| (iii) | निदेशक, विस्तार शिक्षा | पदेन सदस्य; |
| (iv) | निदेशक, प्राथमिकता, मानीटरी और मूल्यांकन | पदेन सदस्य; |

(v)	निदेशक, छात्र कल्याण	पदेन सदस्य;
(vi)	निदेशक, मानव संसाधन विकास	पदेन सदस्य;
(vii)	समस्त संकायों के अध्यक्ष	पदेन सदस्य;
(viii)	समस्त घटक महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष	पदेन सदस्य;
(ix)	परीक्षा नियंत्रक	पदेन सदस्य;
(x)	विश्वविद्यालय के सभी विभागों के प्रत्येक संकाय का प्रधान (केवल अध्यापन निवेश से जो सह-आचार्य से अनिम्न रैंक का हो)	सदस्य;
(xi)	कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम आधार पर नामनिर्देशित किये जाने वाले, प्रत्येक संकाय से आचार्य रैंक का एक अध्यापक	सदस्य;
(xii)	विश्वविद्यालय से बाहर का, कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक विख्यात कृषि शिक्षाविद्	सदस्य;
(xiii)	कुल- सचिव	सदस्य;
(xiv)	निदेशक, शिक्षा	सचिव।

(2) विद्या परिषद् कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न सेक्टरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चार से अनधिक सदस्यों का, ऐसी रीति से सहयोजन कर सकेगी, जो विहित की जाये।

(3) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य और उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेंगे।

(4) विद्या परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से होगी :

परन्तु यदि परिषद् की कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जाती है, तो वही कार्य करने के लिए अगली बैठक में कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(5) सामान्यतः विद्या परिषद्, ऐसी तारीखों पर, जो कुलपति द्वारा नियत की जा सकेंगी, प्रत्येक चार मास में एक बार बैठक करेगी, तथापि, कुलपति द्वारा विद्या परिषद् की विशेष बैठकें बुलायी जा सकेंगी।

14. विद्या परिषद् की शक्तियां और कृत्य.- (1) विद्या परिषद् को, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा सभी पाठ्यक्रम विहित करने और पाठ्यचर्या अवधारित करने की शक्ति होगी, और विश्वविद्यालय के भीतर अध्यापन और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों पर उसका साधारण नियंत्रण होगा, और वह उसके स्तरमानों को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) विद्या परिषद् को समस्त शैक्षणिक विषयों के संबंध में, इस अधिनियम और परिनियमों के संगत विनियम बनाने और उन्हें संशोधित या निरसित करने की भी शक्ति होगी।

(3) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद् को निम्नलिखित शक्तियां होंगी:-

- (i) पुस्तकालयों के नियंत्रण और प्रबंध और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से महाविद्यालयों की संबद्धता सहित समस्त शैक्षणिक विषयों पर बोर्ड और कुलपति को सलाह देना;
- (ii) आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अनुसंधान और विस्तार शिक्षा में पदों सहित अन्य अध्यापन पदों की स्थापना के लिए सिफारिशें करना;
- (iii) अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के विभागों या संकायों, के गठन या पुनर्गठन के लिए सिफारिशें करना;
- (iv) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के संबंध में विनियम बनाना और प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या निश्चित करना;
- (v) उपाधियां, डिप्लोमे और प्रमाणपत्रों के पाठ्यक्रमों के संबंध में विनियम बनाना;

- (vi) परीक्षाओं का संचालन करने, और शिक्षा के स्तरमानों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने, के संबंध में विनियम बनाना;
- (vii) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना;
- (viii) विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिए विहित की जाने वाली अर्हताओं के संबंध में सिफारिशें करना; और
- (ix) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या बोर्ड द्वारा या कुलपति द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें ।

15. अनुसंधान परिषद्- एक अनुसंधान परिषद् होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे अर्थात्:-

- (i) कुलपति पदेन अध्यक्ष;
- (ii) सरकार के कृषि/उद्यान-कृषि/मत्स्य पालन विभाग के निदेशक और मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान (विश्वविद्यालय की अनुसंधान आज्ञा और कार्यक्रमों पर निर्भर) सदस्य;
- (iii) विश्वविद्यालय के समस्त निदेशक सदस्य;
- (iv) संकायों के समस्त संकायाध्यक्ष सदस्य;
- (v) समस्त आंचलिक निदेशक, अनुसंधान और विस्तार सदस्य;
- (vi) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष सदस्य;
- (vii) विश्वविद्यालय से बाहर के दो ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक, जो बैठकों की कार्यसूची के विषयों में अपना विशेषज्ञीय ज्ञान होने के कारण कुलपति द्वारा किसी बैठक विशेष के लिए नामनिर्देशित किये जायें सदस्य;

- (viii) अनुसंधान परिषद्, चार से अनधिक सदस्य; व्यक्तियों को, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से जो विहित की जाये, सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकेगी, जिससे कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न सेक्टरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके
- (ix) निदेशक, अनुसंधान सचिव ।

16. अनुसंधान परिषद् के कृत्य.- अनुसंधान परिषद् निम्नलिखित के बारे में विचार और सिफारिशें करेगी:-

- (i) प्रभावी समन्वय करने की दृष्टि से कृषि और अन्य सहबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में, राज्य में विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा चलाये गये या चलाये जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रम और परियोजनाएं;
- (ii) अनुसंधान परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित भौतिक, राजवित्तीय और प्रशासनिक सुविधाएं;
- (iii) किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुसंधान करना;
- (iv) अनुसंधान, विस्तार शिक्षा और अध्यापन का एकीकरण और अनुसंधान कार्यकर्ताओं का अध्यापन और विस्तार शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेना;
- (v) अनुसंधान कार्यक्रम से संबंधित कोई भी अन्य मामला जो विश्वविद्यालय के कुलपति या बोर्ड या किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाये ।

17. विस्तार शिक्षा परिषद्.- एक विस्तार शिक्षा परिषद् होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

- (i) कुलपति पदेन अध्यक्ष;
- (ii) प्रभारी शासन सचिव, कृषि विभाग सदस्य;
- (iii) सरकार के कृषि/उद्यान-कृषि/मत्स्य पालन सदस्य; विभाग के निदेशक और मुख्य वन संरक्षक,

- राजस्थान (विश्वविद्यालय की विस्तार आज्ञा और कार्यक्रमों पर निर्भर)
- (iv) विश्वविद्यालय के सभी निदेशक सदस्य;
- (v) संकायों के समस्त संकायाध्यक्ष सदस्य;
- (vi) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त आंचलिक निदेशक और विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर आने वाले समस्त कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयक सदस्य;
- (vii) विश्वविद्यालय से बाहर के विस्तार शिक्षा क्षेत्र के दो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति जो कार्यसूची की आवश्यकता के अनुसार किसी बैठक विशेष के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जायें सदस्य;
- (viii) साधारण कृषि, उद्यान-कृषि या अन्य सहबद्ध शाखाओं में विशेषज्ञता वाले तीन प्रगतिशील किसान जिन्हें कुलपति उनके विशेषज्ञीय ज्ञान और अनुभव के लिए नामनिर्देशित करेगा सदस्य;
- (ix) कुलपति के निवेदन के अनुसार निम्नलिखित संगठनों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:- सदस्य;
- (क) सरकार का ग्रामीण विकास विभाग;
- (ख) सरकार का सहकारिता विभाग;
- (ग) राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम;
- (घ) सरकार का सिंचाई विभाग;
- (ङ) भारतीय उर्वरक निगम;
- (च) राष्ट्रीय बीज निगम; कोई भी अन्य कृषि-उद्योग या कृषि सेवा संगठन;
- (x) निदेशक, विस्तार शिक्षा सचिव ।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति “प्रभारी शासन सचिव” से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

18. विस्तार शिक्षा परिषद् के कृत्य.- विस्तार शिक्षा परिषद् निम्नलिखित के बारे में विचार और सिफारिश करेगी;

- (i) विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा कार्यक्रम और परियोजनाएं;
- (ii) कृषि और सहबद्ध शाखाओं में सुधार के लिए और ग्रामीण समुदायों के विकास के लिए विस्तार शिक्षा क्रियाकलापों का समन्वय करना;
- (iii) किसानों की शिक्षा और प्रशिक्षण और सलाहकार सेवाओं का विकास, क्षेत्रीय समस्याओं की पहचान और निराकरण और सूचना का सम्प्रेषण;
- (iv) विस्तार शिक्षा की कार्य पद्धति;
- (v) विश्वविद्यालय में विस्तार शिक्षा का अध्यापन और अनुसंधान के साथ एकीकरण और अध्यापकों और अनुसंधान कार्यकर्ताओं का विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेना;
- (vi) कोई भी अन्य मामला जो कुलपति, बोर्ड या विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाये ।

19. वित्त समिति.- (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे-

- (i) कुलपति पदेन अध्यक्ष;
- (ii) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग या सदस्य;
उसका उप सचिव से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती
- (iii) प्रभारी शासन सचिव, कृषि विभाग या सदस्य;
उसका उप सचिव से अनिम्न

रैंक का नामनिर्देशिती

- (iv) निदेशक, अनुसंधान/विस्तार शिक्षा/ शिक्षा (कुलपति द्वारा प्रतिवर्ष चक्रानुक्रम आधार पर नामनिर्देशित एक निदेशक) सदस्य;
- (v) बोर्ड का एक नामनिर्देशिती जो बोर्ड का गैर-सरकारी सदस्य हो सदस्य;
- (vi) नियंत्रक पदेन सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति “प्रभारी शासन सचिव” से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) वित्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्.-

- (i) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करना और बोर्ड को उन पर परामर्श देना;
- (ii) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना; और
- (iii) विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित समस्त विषयों पर बोर्ड को सिफारिशें करना।

20. संकाय और उनके अध्ययन बोर्ड.- (1) विश्वविद्यालय में कृषि, कृषि- अभियांत्रिकी, गृह विज्ञान और आधारभूत विज्ञान और ऐसे अन्य संकाय होंगे, जो विहित किये जायें ।

(2) इन संकायों में ऐसे विभाग, खण्ड या केन्द्र समाविष्ट होंगे जो विहित किये जायें, तथापि, विषय और कृत्यों की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, एक विभाग या केन्द्र एक से अधिक संकाय की आवश्यकता पूरी कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक संकाय में इतने सदस्य होंगे जितने विहित किये जायें और संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष उस संकाय का अध्यक्ष होगा।

(4) प्रत्येक संकाय के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

- (i) अध्यापन कार्यक्रम का पुनर्विलोकन करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना;

- (ii) संबंधित अध्ययन बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करना और उन्हें विचार और अनुमोदन के लिए विद्या परिषद् के समक्ष रखना;
 - (iii) संकाय स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी होंगे; और
 - (iv) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विद्या परिषद् या कुलपति द्वारा सौंपे जायें;
- (5) प्रत्येक संकाय के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसका गठन इस प्रकार होगा, जो विहित किया जाये और संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।
- (6) अध्ययन बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्:-
- (i) संबंधित संकाय को, उस संकाय द्वारा प्रदत्त शिक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अध्ययन के विषय और उनके पाठ्यक्रम के बारे में प्रस्ताव करना; और
 - (ii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो, संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष, अन्य प्राधिकारियों और कुलपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायें ।

21. समितियों का गठन.- प्रत्येक प्राधिकारी को समितियों नियुक्त करने की शक्ति होगी जो, जब तक कि इस अधिनियम या परिनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, प्राधिकारी के सदस्यों और सदस्यों के रूप में ऐसे अन्य व्यक्तियों से गठित होंगी, जैसाकि वह उचित समझे ।

22. प्राधिकारियों की सदस्यता के संबंध में उपबंध.- (1) इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, यदि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, अपनी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने के कारण या अन्यथा अपनी संपूर्ण पदावधि पूरी करने में असमर्थ है तो इस प्रकार हुई रिक्ति, सुविधानुसार यथाशीघ्र नियुक्ति, नामनिर्देशन या, यथास्थिति, सहयोजन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त, नामनिर्देशित या सहयोजित किया गया व्यक्ति, ऐसी रिक्ति को उस पदावधि के ऐसे अनवसित भाग के लिये

भरेगा, जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त, नामनिर्देशित या सहयोजित किया गया है, पद पर अन्यथा बना रहता।

(2) बोर्ड किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से, कुलाधिपति के अनुमोदन से इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी नैतिक अधमता या आचरण, जो संबंधित सदस्य द्वारा धारित पद के अनुकूल न हो, से अंतर्वलित किसी भी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है:

परन्तु कुलाधिपति का पूर्व अनुमोदन वहां आवश्यक नहीं होगा जहां ऐसा व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या नहीं, के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य है, ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह अपनी सदस्यता की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस अन्य निकाय या प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहे, जिसके द्वारा उसे नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है:

परन्तु वह उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति या, यथास्थिति, नामनिर्देशन होने तक उसके पद पर बना रहेगा।

(4) जब कभी कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का, उसके द्वारा धारित पद के आधार पर सदस्य बने तो वह तत्काल ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह उसकी सदस्यता की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है:

परन्तु उसे चार मास से अनधिक की कालावधि के लिए छुट्टी पर जाने के कारण ही उसके पद धारण से प्रविरत हुआ नहीं समझा जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के किसी पदेन सदस्य से भिन्न कोई भी सदस्य, कुलपति को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से, जिसको रिक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार

किया जायेगा या कुलपति द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

23. कार्यों की विधिमान्यता और संरक्षण.- (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही, उसके सदस्यों की किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाही में भाग लेने के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी जिसके बारे में तत्पश्चात् यह पाया जायेगा कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के द्वारा या उसके प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा सद्भावपूर्वक किये गये समस्त कार्य या आदेश अंतिम होंगे और इस अधिनियम या परिनियमों या विनियमों के अनुसरण में की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी भी बात के लिए विश्वविद्यालय या उसके प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद संस्थित नहीं किया जायेगा या नुकसानी का दावा नहीं किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम या किन्हीं भी परिनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

अध्याय 4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

24. अधिकारी.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:-

- (i) कुलपति;
- (ii) निदेशक;
- (iii) संकायाध्यक्ष;
- (iv) कुल-सचिव;
- (v) नियंत्रक;
- (vi) विश्वविद्यालय-पुस्तकालयाध्यक्ष;
- (vii) निदेशक, छात्र कल्याण;
- (viii) परीक्षा नियंत्रक;

(ix) संपदा अधिकारी; और

(x) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

25. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;

(ख) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कृषि शिक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त की है और उसमें नेतृत्व के गुण प्रदर्शित किये हैं और जो न्यूनतम अर्हताएं अर्थात् देश में किसी विश्वविद्यालय या अनुसंधान स्टेशन में कृषि के अध्यापन या अनुसंधान या कृषि की विस्तार पद्धति में आचार्य के पद या समकक्ष पद पर कम से कम छह वर्ष का अनुभव रखता है, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव किसी कृषि विश्वविद्यालय के संकाय के संकायाध्यक्ष या किसी कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य या संकायाध्यक्ष या धारा 2 के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित निदेशक के रूप में होना चाहिए।

(3) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(4) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(5) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (6) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(6) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (5) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(7) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।

(8) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(9) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्थान या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(10) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(11) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(12) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

26. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.- (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक शैक्षणिक अधिकारी और बोर्ड, विद्या परिषद् और अन्य प्राधिकारियों का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा जो उन्हें प्राप्त करने के हकदार हों।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(3) कुलपति बोर्ड, विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद् और विस्तार शिक्षा परिषद् की बैठकें बुलायेगा।

(4) कुलपति इस अधिनियम और परिनियमों और विनियमों के निष्ठापूर्वक अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।

(5) कुलपति बोर्ड के समक्ष वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन और वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) कुलपति को, जहां तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित हो, ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन करने के लिये आदेश करने की शक्ति होगी जिसका प्रयोग या पालन साधारणतया इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया होता और ऐसे मामले में तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, अपनी कार्रवाई के बारे में ऐसे प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा और यदि ऐसा प्राधिकारी कुलपति की कार्रवाई से असहमत हो, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) जहां उप-धारा (6) के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय के सेवा में के किसी भी व्यक्ति को उसके अहितकर रूप में प्रभावित करती हो, वहां ऐसा व्यक्ति उस तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा जिसको ऐसे व्यक्ति को की गयी कार्रवाई का नोटिस तामील किया गया है।

(8) यदि कुलपति का यह समाधान हो जाये कि बोर्ड का विनिश्चय विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में नहीं है तो वह उसे कुलाधिपति को निर्देशित करेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) पूर्ववर्ती उप-धाराओं के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नतियों और पदच्युति के संबंध में बोर्ड के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(10) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के समुचित प्रशासन के लिए और अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के पूर्ण समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(11) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

27. कुल-सचिव.- (1) कुल-सचिव, विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) कुल-सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा (चयनित वेतनमान से अनिम्न) या भारतीय प्रशासनिक सेवा में के इसके अधिकारियों में से की जायेगी ।

(3) जब कुल-सचिव का पद रिक्त हो, या जब कुल-सचिव बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो कुल-सचिव के पद की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, पालन और निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाये।

(4) कुल-सचिव बोर्ड का पदेन सचिव होगा।

(5) कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा जिन्हें बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द करे; और

(ख) बोर्ड, विद्या परिषद्, संकाय, अध्ययन बोर्ड, परीक्षा बोर्ड और योजना बोर्ड और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठक बुलाने के लिए समस्त नोटिस जारी करे।

(6) (i) जहां बोर्ड की कोई कार्यवाहियां या संकल्प, या कुलपति का कोई आदेश इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों से असंगत हो, वहां कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह सुसंगत उपबंधों का उल्लेख करते हुए बोर्ड या कुलपति को सलाह दे और बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों में या कुलपति के आदेश पर इस तथ्य को अभिलिखित करे कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करेगा और ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने या, यथास्थिति, ऐसी कार्यवाहियां चलाने के सात दिवस के भीतर-भीतर कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को मामले की संसूचना सुनिश्चित करेगा;

(ii) उप-खण्ड (i) के अधीन रिपोर्ट किये गये विसम्मति के टिप्पण के परीक्षण के पश्चात्, कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या स्थायी आदेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा, जो विश्वविद्यालय के लिए आबद्धकर होगा।

(7) कुल-सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कुलपति द्वारा निदेशित या बोर्ड द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें।

28. नियंत्रक.- (1) नियंत्रक, सरकार द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के चयनित वेतनमान और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों में से पदस्थापित विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा:

परन्तु नियंत्रक के रूप में नियुक्त व्यक्ति यदि अपनी पदावधि के दौरान अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से सेवानिवृत्त हो जायेगा।

(2) नियंत्रक तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा।

(3) नियंत्रक की परिलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

(4) जब नियंत्रक का पद रिक्त हो, या जब नियंत्रक बीमारी या अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो नियंत्रक के पद की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, पालन और निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाये।

(5) नियंत्रक वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

(6) नियंत्रक -

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय को उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा;

(ख) न्यास और विन्यास सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का वित्त समिति और बोर्ड के विनिश्चयों के अनुसार प्रबंध करेगा; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा समनुदेशित किये जायें; या जो विहित किये जायें:

परन्तु नियंत्रक बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, ऐसी रकम से अधिक जो विहित की जाये, कोई भी व्यय उपगत या कोई भी विनिधान नहीं करेगा।

(7) बोर्ड के नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए, नियंत्रक-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय बोर्ड द्वारा नियत सीमा से अधिक न हों, और सभी धन उन प्रयोजनों के लिए व्यय किये जायें जिनके लिए वे मंजूर या आबंटित किये गये हैं;
- (ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं, वित्तीय प्राक्कलनों और बजट को तैयार करने और उनको वित्त समिति और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ग) नकद और बैंक अतिशेषों और विनिधानों पर बराबर नजर रखेगा;
- (घ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण की लागू की गयी पद्धतियों पर सलाह देगा;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित समस्त कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों, और संस्थानों में उपस्करों और अन्य खपने वाली सामग्री के सम्बन्ध में स्टॉक की जांच की जाती है;
- (च) अनधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितता को कुलपति और कुल सचिव के ध्यान में लायेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा; और
- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, घटक महाविद्यालय या संस्था से ऐसी सूचना या विवरणियां प्राप्त करेगा या करेगी जिन्हें वह अपनी शक्तियों के प्रयोग, कृत्यों के पालन या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

29. निदेशक, संकायाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक आदि.- (1) (क) एक शिक्षा निदेशक होगा जो अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार के शैक्षणिक समन्वय, पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश और पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के प्रबंध और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय में नीतिगत

विषयों और निवासी अनुदेश से संबंधित पद्धति और शैक्षिक प्रोद्योगिकी के विकास से सरोकार रखेगा।

(ख) वह विद्या परिषद् के स्थायी अभिलेखों के रख-रखाव, लिये गये पाठ्यक्रमों, अभिप्राप्त किये गये ऋणों, उपाधियों, पारितोषिकों या अन्य विशेषज्ञताओं और शैक्षणिक संपादन से संबंधित अन्य मदों और छात्रों के अनुशासन सहित विश्वविद्यालय के छात्रों के कार्य संपादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) वह शिक्षा परिषद् के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

(2) एक अनुसंधान निदेशक होगा जो धारा 31 में अधिकथित विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्यक्रमों के निदेशन और समन्वय और अनुसंधान स्टेशनों के दक्ष कार्यकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) एक विस्तार शिक्षा निदेशक होगा जो धारा 32 में अधिकथित कृषि विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) एक मानव संसाधन विकास निदेशक होगा जो मानव संसाधन विकास के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक घटक महाविद्यालय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा और उनमें से वरिष्ठतम, संकाय और संबंधित संकाय के अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा और संकाय के अध्यापन कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यान्वयन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(6) एक पुस्तकालयाध्यक्ष होगा जो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अनुरक्षण और प्रबन्ध के लिए, विश्वविद्यालय की विभिन्न संघटक इकाइयों के पुस्तकालयों के कार्यकरण में मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए और बजट प्राक्कलनों में सम्मिलित करने के लिए विश्वविद्यालयों के समस्त पुस्तकालयों के कार्यपालन और विकासात्मक अपेक्षाओं का वार्षिक प्राक्कलन तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) एक छात्र कल्याण निदेशक होगा जिसके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) छात्रावास, कैफेटेरिया और भोजनालय की व्यवस्था करना और उसके प्रबन्ध का पर्यवेक्षण करना;

- (ख) विश्वविद्यालय के छात्रों की पाठ्यचर्या से भिन्न कार्यकलापों जैसे कि खेल-कूद, सांस्कृतिक और अन्य आमोद-प्रमोद सम्बन्धी कार्यकलापों की योजना बनाना और उनको आयोजित करना;
- (ग) छात्रों को सलाह और परामर्श देने के कार्यक्रमों के बारे में योजना बनाना और निदेश देना और विश्वविद्यालय स्नातकों के नियोजन में सहायता के लिए भावी नियोजकों और नियोजन एजेन्सियों का सहयोग प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बढ़ाना;
- (घ) विश्वविद्यालय की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं और कल्याण के अन्य उपायों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना; और
- (ङ) छात्रों की छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं, अंशकालिक नियोजन और अध्ययन दौरे के लिए यात्रा सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(8) एक परीक्षा नियंत्रक होगा, जो विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के संचालन और परिणामों की समय पर घोषणा के लिए उत्तरदायी होगा।

(9) एक संपदा अधिकारी होगा, जो विश्वविद्यालय की समस्त भूमि और भवनों का अभिरक्षक होगा और उनके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

(10) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्ष रहते हुए, धारा 24 के खण्ड (ii) से (x) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो विहित किये जायें या बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे जायें।

30. विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें.- (1) विश्वविद्यालय के अध्यापक कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन से नियुक्त किये जायेंगे।

(2) धारा 24 के खण्ड (ii) से (x) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अधिकारी कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी के

अनुमोदन से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे जो विहित की जायें:

परन्तु कुलपति, ऐसे अधिकारियों की अस्थायी उपाय के रूप में नियुक्तियां विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी को सूचित करके छह मास की कालावधि के लिए कर सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों का चयन राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के अधीन यथा उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा और उक्त अधिनियम के उपबंध इस उपांतरण के अध्यक्षीन रहते हुए लागू होंगे कि इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य के चयन के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट समिति में उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि सं. 2 और 3 के सामने स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट अन्य सदस्यों के अतिरिक्त, अनुसंधान निदेशक और विस्तार निदेशक भी सदस्य होंगे।

अध्याय 5

शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा

31. शिक्षा.- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, विश्वविद्यालय में शिक्षा के अन्तर्गत कृषि के विषयों, जिनमें आधारभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान, डेयरी और खाद्य विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी और ऐसे अन्य सहबद्ध विज्ञान, जो विहित किये जायें, सम्मिलित हैं, में स्नातक, स्नातकोत्तर और डाक्टरेट की उपाधि के कार्यक्रम और अल्पकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं।

(2) शैक्षिक कार्यक्रमों को कृषि और उससे सहबद्ध शाखाओं के क्षेत्र में उत्पादन, प्रबन्ध, अनुसंधान, विस्तार शिक्षा और अध्यापन कार्य के नियंत्रण के लिए सक्षम और व्यवहारोन्मुखी स्नातक और स्नातकोत्तर तैयार करने के उद्देश्य से कृषि शिक्षा की आधुनिक पद्धति पर आधारित किया जा सकेगा।

32. अनुसंधान.- इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्यक्रमों में कृषि विकास और राज्य की ग्रामीण जनता के फायदे के प्रयोजन के लिए कृषि, और अन्य सहबद्ध विज्ञान की समस्याओं पर अनुसंधान (मौलिक और साथ ही अनुप्रयुक्त) किये जायेंगे।

33. विस्तार शिक्षा.- (1) विस्तार शिक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय में स्थापित किया जायेगा और इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, किसानों और अन्यो को, उनकी समस्याओं में मदद करने और समाधान करने के लिए उपलब्ध अनुसंधान के निष्कर्षों पर आधारित उपयोगी जानकारी उपलब्ध करायेगा। वह छात्रों, विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों के फायदे के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेगा। विस्तार शिक्षा का विश्वविद्यालय के अन्य कृत्यों और राज्य की अन्य समुचित एजेन्सियों के साथ समन्वय किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय राज्य में ग्रामीण जीवनयापन में सुधार करने के लिए आवश्यक समुन्नत पद्धतियों पर अनुसंधान के निष्कर्ष किसानों को सूचित और प्रदर्शित करने के लिए और खाद्य उत्पादन और उपयोगिता पर विशेष बल देते हुए कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि विस्तार शिक्षा क्रियाकलाप संचालित कर सके, राज्य बोर्ड और सरकार द्वारा विकसित की जाने वाली या आपस में तय की गयी योजनाओं के अनुसार आवश्यक कार्मिक सुविधाएं और निधियां विश्वविद्यालय को अन्तरित करेगा।

34. अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा का समन्वय, कृत्यों और पाठ्यक्रमों और सेवाओं का एकीकरण.- (1) कुलपति, विश्वविद्यालय के समुचित अधिकारियों के साथ परामर्श से, ऐसे उपाय करने के लिए उत्तरदायी होगा जो विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार क्रियाकलापों के पूर्ण समन्वय के लिए आवश्यक हों।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के समुचित अधिकारियों के माध्यम से कार्य करते हुए यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी स्थितियां स्थापित की जायें जिनके द्वारा कृषि से संबंधित प्राकृतिक, भौतिक और

सामाजिक विज्ञान में नयी जानकारी और प्रौद्योगिकी के विकास में और अध्यापन पाठ्यचर्या और अन्य शैक्षिक कार्यक्रम को समझने और लागू करने के लिए उसका अन्तरण करने के लिए यथासंभव अधिकतम प्रगति हो।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय के समुचित अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के माध्यम से कार्य करते हुए कि विश्वविद्यालय के संकायों के बीच कृत्यों के अनावश्यक दोहरेपन से बचने के लिए और छात्रों को विश्वविद्यालय के भीतर विश्वविद्यालय के संसाधनों और प्रतिभाओं के साध्य सर्वोत्तम पाठ्यक्रम और उपयोगी संकाय सम्पर्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि विश्वविद्यालय के भिन्न-भिन्न पाठ्यचर्याओं और पाठ्यक्रमों के बीच समुचित पारस्परिक सम्बन्ध हो।

(4) विश्वविद्यालय राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से अधिकारिता के क्षेत्र में अपने अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के कार्यक्रम विकसित करेगा और कृषि और अन्य सहबद्ध शाखाओं में विकास कार्य में लगे हुए सरकारी विभागों को समुचित तकनीकी समर्थन और परामर्शकारी सूचना उपलब्ध करायेगा।

अध्याय 6

निधियां और लेखे

35. विश्वविद्यालय निधियां.- (1) विश्वविद्यालय की एक साधारण निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा की जायेंगी:-

- (i) उसकी फीसों, विन्यासों और अनुदानों से प्राप्त आय और छात्रावास, प्रायोगिक स्टेशनों और फार्मों सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों से आय;
- (ii) सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर किये गये अभिदाय और अनुदान, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों; और
- (iii) अन्य अभिदाय, अनुदान, दान, पूर्तदान और ऋण और अन्य प्राप्तियां ।

(2) विश्वविद्यालय धर्मादा निधि के नाम से एक निधि का सृजन करेगा जिसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एजेन्सियों द्वारा किये गये अभिदाय और अनुदान उस निधि में जमा किये जायेंगे और ऐसी अन्य राशियां, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, उक्त निधि में जमा की जायेंगी और बोर्ड, जब कभी भी आवश्यक हो, इतनी राशि का पुनःअन्तरण, जो विनिर्दिष्ट की जाये, धर्मादा निधि से साधारण निधि में विहित रीति से कर सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय सरकार द्वारा दिये गये किसी अनुदान से सम्बन्धित लेखा विवरण, प्रतिवेदन और अन्य विशिष्टियां सरकार को देगा और ऐसी कार्रवाई करेगा और किसी भी अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में ऐसे विवरण, लेखे, प्रतिवेदन और अन्य विशिष्टियां, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, देगा जो सरकार निदिष्ट करे।

(4) विश्वविद्यालय उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने में सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या कानूनी निकायों से अनुदान, या विन्यास या दान ऐसी शर्तों पर स्वीकार करने में सक्षम होगा जो विश्वविद्यालय और दाता के बीच करार पायी जायें।

36. भविष्य निधि, पेंशन और बीमा.- (1) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी पेंशन, उपदान, बीमा, भविष्य निधि का सृजन करेगा जो वह उचित समझे।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी पेंशन, उपदान, बीमा और इस प्रकार गठित भविष्य निधि के लिए, सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) के उपबन्ध ऐसी निधियों पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो:

परन्तु विश्वविद्यालय को वित्त समिति और बोर्ड के परामर्श से, भविष्य निधि की रकम को ऐसी रीति से विनिहित करने की शक्ति होगी जो वह अवधारित करे।

37. निधियों का प्रबन्ध.- विश्वविद्यालय की साधारण निधि, धर्मादा निधि और अन्य निधियों का प्रबन्ध परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

38. लेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से हो, विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।

39. सरकारी अनुदान.- सरकार प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय को निम्नलिखित एकमुश्त अनुदान करेगी, अर्थात्:-

- (i) कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा पर विश्वविद्यालय में उपगत व्यय से अन्यून का अनुदान;
- (ii) ऊपर जो खण्ड (i) में निर्दिष्ट विभिन्न संगठनों में क्रियाकलापों के संबंध में हैं, को छोड़कर, विश्वविद्यालय

के कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्तों, आकस्मिकताओं, प्रदायों और सेवाओं के प्राक्कलित शुद्ध व्यय से अन्यून का अनुदान;

- (iii) आवर्ती और अनावर्ती व्यय की ऐसी अतिरिक्त मदों की पूर्ति के लिए, जिसे सरकार विश्वविद्यालय के उचित कृत्यकरण के लिए आवश्यक समझे, अनुदान;
- (iv) राज्य सरकार विश्वविद्यालय को, पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित और विश्वविद्यालय द्वारा उसके क्रियान्वयन के लिए उसे अंतरित स्कीमों के संबंध में वार्षिक योजना के शुद्ध परिव्यय के बराबर रकम का व्यपगत नहीं होने योग्य एकमुश्त अनुदान भी करेगी। केन्द्र सरकार से और ऐसी स्कीमों को प्रायोजित करने वाली अन्य एजेन्सियों से प्रत्याशित सहायता के लिए समायोजन किये जा सकेंगे बशर्ते कि ऐसी सहायता राज्य सरकार के माध्यम से न होकर सीधे ही विश्वविद्यालय को आती हो।

40. राज्य सरकार का नियंत्रण.- जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात्:-

- (क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;
- (ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;
- (ग) अपने अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;

- (घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;
- (ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;
- (च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और
- (छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.- पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

41. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.- (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।

अध्याय 7

परिनियम और विनियम

42. परिनियम.- इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के परिनियम विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संसक्त किसी भी विषय के लिए उपबंधित कर सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध करेंगे, अर्थात्:-

- (1) प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;
- (2) विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक या वांछनीय अन्य निकायों या समितियों का सृजन, संरचना और कृत्य;
- (3) कुलपति से भिन्न अधिकारियों के पदनाम, शक्तियां, कृत्य, कर्तव्य, नियुक्ति और चयन की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें;
- (4) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और गैर-अध्यापन कर्मचारिवृन्द का वर्गीकरण, अर्हता और नियुक्ति की रीति, सेवा के निबंधन और शर्तें और कर्तव्य;
- (5) कुलपति की सेवा के निबंधन और शर्तें;
- (6) विश्वविद्यालय के संकायों, खण्डों, विभाग, अनुसंधान स्टेशनों, विस्तार केन्द्रों या अन्य इकाइयों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन या उत्सादन;
- (7) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन और बीमा स्कीमों की स्थापना और ऐसी स्कीमों के नियम, निबंधन और शर्तें;
- (8) उपाधियां और डिप्लोमे प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन;
- (9) मानद् उपाधियों और शैक्षिक उपाधियों का प्रदान और वापसी;
- (10) विश्वविद्यालय के अधीन नियोजित अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य व्यक्तियों की सेवा शर्तें, उन्हें संदत्त किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं;
- (11) परीक्षा लेने वाले निकायों और परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें और ढंग और उनके कर्तव्य;

- (12) महाविद्यालयों या संस्थानों की सम्बद्धता की और ऐसी सम्बद्धता को वापस लेने की प्रक्रिया तथा निबंधन और शर्तें, और सम्बद्धता की फीस के निबंधन तथा शर्तें;
- (13) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित घटक महाविद्यालयों, केन्द्रों, खण्डों, विभागों, प्रादेशिक केन्द्रों, अन्य संस्थानों का प्रबंध;
- (14) विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित नियमों और विनियमों के अनुसार संबद्ध महाविद्यालयों की परीक्षा संचालित करना और उनके छात्रों को उपाधियां प्रदान करना;
- (15) अध्यापकों और अधिकारियों से भिन्न कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन; और
- (16) समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा या परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं।

43. परिनियम कैसे बनाये जायें.- (1) इस अधिनियम के अधीन परिनियम बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किये जायेंगे और कुलाधिपति को उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे और अनुमति प्राप्त होने और कुलपति द्वारा अधिसूचित किये जाने के पश्चात् ही प्रवृत्त होंगे।

(2) कोई भी परिनियम बोर्ड द्वारा कुलाधिपति की अनुमति से संशोधित या निरसित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त परिनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

44. विनियम.- (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम और परिनियमों से संगत विनियम बना सकेंगे:-

- (i) अपनी बैठकों के लिए प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;
- (ii) ऐसे विषयों के लिए उपबंध करना जिन्हें इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा विनियमों द्वारा विनियमित किया जाना हो; और
- (iii) अन्य किसी विषय के लिए उपबंध करना, जो मात्र प्राधिकारी से संबंधित हो और जिसके लिए इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।

(2) विद्या परिषद्, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, परीक्षा की पद्धति, शैक्षणिक कलेण्डर, उपाधियां और डिप्लोमे प्रदान करने के लिए और निवासी अनुदेश से सम्बंधित अन्य विषयों के लिए विनियम बना सकेगी।

(3) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये विनियम ऐसे निदेश के अध्यक्षीन होंगे जो बोर्ड समय-समय पर इस निमित्त दे।

(4) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगी,-

- (i) उपाधि और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन करने;
- (ii) मानद् उपाधियों, विद्या सम्बन्धी उपाधियों का प्रदान और उपाधियों की वापसी;
- (iii) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना और उत्सादन;
- (iv) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, या वृत्तिका, वजीफे, पदकों और पुरस्कारों के संस्थित किये जाने और उनके प्रदान की शर्तें;
- (v) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश या दाखिला और उनका नामांकन और इस रूप में जारी रहना और छात्रों को नामांकन से निकालने के लिए शर्तें और प्रक्रियाएं;
- (vi) फीस जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित की जा सकेगी;
- (vii) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (viii) शर्तें, जिनके अध्यक्षीन छात्रों को विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों या अन्य पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा और उपाधियां और डिप्लोमे प्रदान किये जाने के लिए उनकी पात्रता;
- (ix) उपाधियां और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने की शर्तें;
- (x) विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाये रखना;

- (xi) विशेष व्यवस्थाएं, यदि कोई हों, जो छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए की जा सकेंगी और महिलाओं के विशेष पाठ्यक्रमों के लिए उपबंध;
- (xii) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें और छात्रावासों में निवास के लिए फीस का उद्ग्रहण; और
- (xiii) उन छात्रावासों की मान्यता और प्रबन्ध जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित नहीं हैं।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

45. छात्रों का निवास.- छात्र विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या कुलपति द्वारा अनुमोदित वास-सुविधा में ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन निवास करेंगे, जो विहित की जायें। तथापि, कुलपति या विश्वविद्यालय का प्राधिकृत अधिकारी छात्रों को अपने माता-पिता के साथ या निजी वास-सुविधा में निवास करने की अनुज्ञा दे सकेगा जबकि ऐसी कोई वास-सुविधा विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध न हो।

46. वार्षिक प्रतिवेदन.- विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कुल सचिव या निदेशक, प्राथमिकता, मानीटरी और मूल्यांकन द्वारा कुलपति के निदेशाधीन सामान्यतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर-भीतर तैयार, और बोर्ड के सदस्यों को ऐसी बैठक के एक मास पूर्व परिचालित किया जायेगा, जिसमें उस पर विचार किया जाना हो। बोर्ड, वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उसकी एक प्रति टिप्पणी सहित सरकार को अग्रेषित करेगा। उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखी जायेगी।

47. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- बोर्ड परिनियम द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों को किसी भी प्राधिकारी अधिकारी, महाविद्यालयों, खण्डों, विभागों, संस्थानों या इकाइयों और कार्यालयों के अध्यक्षों को ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो बोर्ड उचित समझे।

48. तदर्थ समितियों का गठन.- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी और ऐसे समय तक जिस तक कि प्राधिकारी सम्यक् रूप से गठित न हो जायें, कुलपति, कुलाधिपति के या बोर्ड का गठन हो जाने के पश्चात् उसके पूर्व अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी की किन्हीं भी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों में से किसी भी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य का प्रयोग, पालन और निर्वहन करने के लिए अस्थायी रूप से समितियां नियुक्त कर सकेगा।

49. प्राधिकारियों या निकायों के गठन विषयक विवाद.- यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य होने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है या हकदार है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु ऐसा कोई भी विनिश्चय करने के पूर्व, कुलाधिपति उससे प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

50. विधिक कार्यवाहियां.- विश्वविद्यालय के द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय की ओर से कुल-सचिव द्वारा या कुलपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्देशित किसी अन्य अधिकारी द्वारा संस्थित, अभियोजित या प्रतिरक्षित की जायेंगी।

51. विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संसक्त पदों पर नियुक्ति.- (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संसक्त पदों पर और सेवाओं में नियुक्तियां कुलपति द्वारा ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी के अनुमोदन से की जायेंगी जो विहित किया जाये:

परन्तु बोर्ड का ऐसा अनुमोदन सहायक आचार्य के वेतनमान से निम्न वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के संबंध में आवश्यक नहीं होगा।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और ऐसे परिनियम बनाये जाने या विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन किये जाने के समय तक विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संसक्त

पदों पर और सेवाओं में नियुक्तियां कुलपति द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जा सकेंगी जो कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित की जायें ।

52. पदनाम में परिवर्तन की दशा में सरकारी अधिकारियों के प्रति निर्देश का अर्थ तत्समान पदों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाना.- जहां इस अधिनियम के या परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किसी भी उपबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी का निर्देश पदनाम से हो वहां, यदि वह पदनाम परिवर्तित कर दिया जाता है या वह पद अस्तित्वहीन हो जाता है तो, उक्त निर्देश का अर्थ परिवर्तित पदनाम या, यथास्थिति, ऐसे तत्समान अधिकारी, जैसाकि राज्य सरकार निदिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा ।

53. प्रथम कुलपति की अंतःकालीन शक्तियां.- प्रथम कुलपति, सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा एक वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए या ऐसे समय तक जब तक बोर्ड गठित किया जाये, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जायेगा और इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त समस्त शक्तियों या इनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगा ।

54. अन्य विश्वविद्यालयों से व्यक्तियों और सम्पत्तियों के स्थानान्तरण की शक्ति.- कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, किसी भी समय किसी अन्य विश्वविद्यालय से, जिसका कि वह कुलाधिपति है ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो आदेश में अवधारित की जायें, इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय में-

- (क) किसी भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी या सेवक के; या
- (ख) किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति या उसमें के किन्हीं भी अधिकारों या हितों के; या
- (ग) प्राप्त, प्रोद्भूत या वचनबद्ध किसी भी निधि, अनुदान, अभिदाय, संदान, सहायता, या उपकृति के; या
- (घ) विश्वविद्यालय के पक्ष में या विरुद्ध उपगत या विधिपूर्वक अस्तित्वयुक्त किन्हीं भी शोध्यों, दायित्वों या बाध्यताओं के; या
- (ङ) किसी भी वसीयत, दान या न्यास को अन्तर्विष्ट करने वाली किसी भी विल, विलेख, या अन्य दस्तावेज के,

स्थानान्तरण के लिए ऐसे आदेश करेगा जो आवश्यक समझे जायें।

55. महाविद्यालयों, संस्थानों और इकाइयों के अन्तरण की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर या महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के घटक महाविद्यालयों, संस्थानों, छात्रावासों, कार्यालयों, अनुसंधान स्टेशनों, विस्तार केन्द्रों में से किसी को या किसी भी अन्य निकाय, एजेन्सी या इकाई को इस विश्वविद्यालय को अन्तरित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अन्तरित किसी भी महाविद्यालय, संस्थान, छात्रावास, कार्यालय, अनुसंधान केन्द्र, विस्तार केन्द्र या किसी भी अन्य निकाय, एजेन्सी या इकाई का नियंत्रण और प्रबन्ध उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय में निहित हो जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय में इस प्रकार अन्तरित महाविद्यालय या संस्थानों के छात्रों या अनुसंधान स्टेशन या विस्तार केन्द्र या किसी भी अन्य निकाय, एजेन्सी या इकाई में लगे हुए व्यक्तियों को अपना पाठ्यक्रम, अनुसंधान या कार्यक्रम पूरा करने दिया जायेगा और विश्वविद्यालय उसके लिए व्यवस्थाएं करेगा।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी महाविद्यालय, संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, विस्तार केन्द्र या किसी भी अन्य निकाय, एजेन्सी या इकाई में अध्यापक या कर्मचारी के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति, उक्त उप-धारा के अधीन जारी की गयी अधिसूचना की तारीख से उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर विश्वविद्यालय का अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी समझा जायेगा।

56. सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति.- इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी भी विषय पर विश्वविद्यालय से कोई भी सूचना मंगा सकेगी और विश्वविद्यालय, यदि ऐसी सूचना उसके पास उपलब्ध है तो सरकार को एक युक्तियुक्त कालावधि के भीतर-भीतर उपलब्ध करायेगा:

परन्तु ऐसी किसी सूचना के मामले में, जिसे विश्वविद्यालय गोपनीय समझता हो, ऐसी सूचना को विश्वविद्यालय कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

57. संक्रमणकालीन उपबंध.- (1) इस अधिनियम में या राज्य में अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में या इन अधिनियमितियों में से किसी अधिनियमिति के अधीन बनाये गये परिनियमों या विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, ऐसे किसी भी छात्र को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व ऐसे महाविद्यालय में अध्ययनरत था, जिसे विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार अन्य विश्वविद्यालयों की उपाधि, डिप्लोमे या प्रमाणपत्रों के लिए विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार दिया गया है या इसके पश्चात् दिया जाये, निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात किया जायेगा,-

- (क) राज्य में के अन्य कृषि विश्वविद्यालय के तत्समान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए;
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षित किये जाने के लिए और यदि ऐसी परीक्षा के परिणामों पर वह अर्हित होता है, तो विश्वविद्यालय की तत्समान उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदत्त किये जाने का हकदार होने के लिए; और
- (ग) उक्त पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अपेक्षित सामान्य कालावधि के दो वर्ष के भीतर परीक्षा में बैठने के लिए ।

(2) विश्वविद्यालय के स्थापन वर्ष में, भिन्न-भिन्न संकायों और शाखाओं में समस्त पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय परीक्षाएं राज्य में के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, संचालित की जायेंगी और पश्चात्वर्ती वर्षों में परीक्षाएं उक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जायेंगी।

58. कठिनाइयों का निराकरण.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये किसी भी आदेश को किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि उप-धारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई भी कठिनाई निराकरण के लिए विद्यमान नहीं थी।

(3) इस धारा के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश, उसके प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान- मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, September 14, 2013

No. F. 2 (54) Vidhi/2/2013.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Krishi Vishwavidyalaya, Kota Adhinyam, 2013 (2013 Ka Adhinyam Sankhyank 22):—

(Authorised English Translation)

**THE AGRICULTURE UNIVERSITY, KOTA ACT, 2013
(Act No. 22 of 2013)**

[Received the assent of the Governor on the 13th day of September, 2013]

An

Act

to establish and incorporate an Agriculture University at Kota in the State of Rajasthan for the development of agricultural sciences.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:—

**CHAPTER I
Preliminary**

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Agriculture University, Kota Act, 2013.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on and from such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “Academic Council” means the Academic Council of the University;

(b) “Agriculture” includes the basic and applied sciences of—

(i) natural resource management;

(ii) soil and water management;

(iii) crop improvement and production and protection;

- (iv) horticulture, that is to say fruits, vegetables, floriculture, spices and medicinal plants and plantation crops;
 - (v) dairy and food science, food technology and animal products technology;
 - (vi) fisheries;
 - (vii) forestry, farm forestry, forest management and silviculture;
 - (viii) agriculture engineering and technology;
 - (ix) post-harvest technology including processing and marketing;
 - (x) land use planning and management;
 - (xi) sericulture including mulberry culture;
 - (xii) apiculture;
 - (xiii) home science;
 - (xiv) agri-business management;
 - (xv) basic sciences and humanities in relation to agriculture; and
 - (xvi) subjects pertaining to agricultural technology and rural development;
- (c) “affiliated college” means a college or institute admitted to the privileges of the University;
 - (d) “authority” means any authority of the University as specified in this Act;
 - (e) “Board” means the Board of Management of the University;
 - (f) “college” means a constituent college or an affiliated college;
 - (g) “Chancellor” means the Chancellor of the University;
 - (h) “Comptroller” means Comptroller of the University;
 - (i) “constituent college” means a college maintained by the University;
 - (j) “Dean” means the Dean of the Faculty or the Dean of the constituent college;

- (k) “Director” means Director of Prioritization, Monitoring and Evaluation, Director of Research, Director of Extension Education, Director of Human Resources Development, Director of Students Welfare and other Directors of specified areas, which the University may create from time to time;
- (l) “Extension Education Council” means Extension Education Council of the University;
- (m) “Faculty” means Faculty in the University as specified in this Act and the Statutes;
- (n) “Government” means Government of the State of Rajasthan;
- (o) “Governor” means the Governor of the State of Rajasthan;
- (p) “Head” means Head of a department or division of the discipline;
- (q) “hostel” means a place of residence for students of the University maintained or recognized by the University either as part of, or separate from, the University;
- (r) “officer” means an officer of the University as specified in this Act or any other person in the employment of the University who is declared as officer by the Statutes;
- (s) “prescribed” means as prescribed by the Statutes of the University;
- (t) “Registrar” means the Registrar of the University;
- (u) “Regulations” means the Regulations made under section 44;
- (v) “Research Council” means Research Council of the University;
- (w) “Statutes” means the Statutes of the University made under sections 43;
- (x) “student” means the person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction;

- (y) “teacher” means a person not below the rank of Assistant Professor appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instructions and/or conducting and guiding research and/or extension education programmes and includes any other person who may be declared by the Statutes to be a teacher;
- (z) “University” means the Agriculture University, Kota as established and constituted under this Act;
- (za) “Vice-Chancellor” means Vice-Chancellor of the University; and
- (zb) “Zonal Station or Regional Station” means the Zonal or Regional Station of the University.

CHAPTER II

The University and the Chancellor

3. Establishment and incorporation of the University.- (1) There shall be established in the State of Rajasthan a University at Kota by the name of the Agriculture University, Kota.

(2) The University shall consist of a Chancellor, a Vice-Chancellor, a Board of Management, an Academic Council, and other authorities and officers as set forth in this Act or as provided in the Statutes.

(3) The University shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its corporate name.

(4) The University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer any movable or immovable property which may have become vested in or have been acquired by it for the purpose of the University, and to borrow money from the Central Government, State Government or any other sources approved by the Central or

State Government and it may enter into a contract and do all other things necessary for the purpose of this Act.

(5) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and served on the Registrar.

(6) The headquarters of the University shall be at Kota.

4. Territorial jurisdiction.- (1) With respect to teaching at the University or college level, research and extension education programmes in the field of agriculture as broadly defined in this Act, the territorial jurisdiction and responsibility of this University shall, notwithstanding anything contained in the Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur Act, 2000 (Act No.8 of 2000) or any other law for the time being in force, extend to Kota, Bundi, Jhalawar, Baran, Swai Madhopur and Karauli districts.

(2) The University may assume responsibility for the maintenance of agriculture, fishery, sericulture and forestry training or educational centres and research and experimental stations, and for the programme of training of field extension workers and for the establishment, development and operation of such centres as may be required in various parts of the State.

(3) The University may have collaboration in research projects having multi-disciplinary approach and academic programmes with other Universities or reputed institutes.

(4) The State Government may, by order in writing –

- (a) require any institute or college within the territorial limits of the University to terminate, with effect from such date as may be specified in the order, its association with, or its admission to the privileges of any other university incorporated by law to such extent as may be considered necessary and proper; or

- (b) exclude, to such extent as may be considered necessary and proper, from association with, or from admission to the privileges of the University constituted by this Act any institute or college specified in the order which, in the opinion of the State Government, is required to be self governing or to be associated with or admitted to the privileges of, any other university or body.

5. Objects of the University.- The University shall have the following objects, namely:-

- (a) making provision for imparting education in different branches of study, particularly Agriculture, Horticulture, Fisheries, Forestry, Agricultural Engineering, Home Science, basic science and other allied branches of learning and scholarship;
- (b) furthering the advancement of learning and conducting of research, particularly in agriculture and other allied sciences;
- (c) undertaking the extension education of such sciences and technologies specially for the rural people of the State; and
- (d) such other objects as the University may from time to time determine.

6. Admission to the University.- (1) The University shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, be open to all persons:

Provided that nothing in this section shall require the University to admit to any course of study any person who do not meet the prescribed academic standards for admission or to retain on the rolls of the University persons whose academic records are below the minimum standard required for the award of a degree or whose personal conduct is such as to be inimical to the objects of the University or to the appropriate rights and privileges of other students and staff:

Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than can be accommodated in the available Faculties of the University or of any particular college or department as determined by the Academic Council.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the University shall reserve seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories specified by the Government or candidates from other States in India:

Provided that no such person shall be entitled to be admitted to the University unless he meets the standards laid down by the University in respect of such candidates.

7. Powers and functions of the University.- The University shall exercise the powers and perform the functions, as under:-

- (a) to provide for undergraduate and postgraduate instructions in Agriculture as broadly defined under clause (b) of section 2, and in other allied branches of learning as the University may deem fit;
- (b) to provide for conduct of research in Agriculture and allied branches of learning;
- (c) to provide for dissemination of the findings of research and technical information through an extension education programme;
- (d) to institute courses of study and hold examinations for and confer degrees, diplomas and other academic distinctions on persons who have pursued a prescribed course of study or research or both in the University including part courses and/or research carried out in any other University or recognized institutes for the purpose;
- (e) to confer honorary degrees and other distinctions as may be prescribed;

- (f) to admit colleges and institutes, not maintained by the University, to the privileges of the University, and to withdraw all or any of such privileges;
- (g) to provide training for field workers, village leaders and other persons not enrolled as regular students of the University;
- (h) to collaborate with other universities and institutes in such manner and for such purposes as the University may determine subject to the limitations set forth in section 4;
- (i) to establish and maintain colleges, schools, centres, divisions, departments, institutes relating to agriculture, fisheries, dairying, agricultural engineering, forestry and allied sciences;
- (j) to establish and maintain laboratories, libraries, research stations, institutes and museums for teaching, research and extension education;
- (k) to create teaching, research and extension education posts and to appoint persons to such posts;
- (l) to create administrative and other posts and to appoint persons to such posts;
- (m) to institute and award fellowship, scholarships, stipends and prizes in accordance with the Statutes;
- (n) to institute and maintain residential accommodations for students and staff of the University;
- (o) to fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed;
- (p) to supervise and control the residence, conduct and discipline of the students of the University, and to make arrangements for promoting their health and welfare; and
- (q) to do all such acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not as may be required in order to further the objects of the University.

8. The Chancellor.- (1) The Governor of the State of Rajasthan shall, by virtue of his office, be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall be the head of the University and shall when present, preside at the convocation of the University.

(3) Every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(4) The Chancellor may of his own motion or on application call for and examine the record of any officer or authority of the University in respect of any proceeding to satisfy himself as to the regularity of such proceeding or the correctness, legality or propriety of any decision taken or order made therein, and if in any case, it appears to the Chancellor that any such decision or order should be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, he may pass orders accordingly:

Provided that every application to the Chancellor for the exercise of the powers under this section shall be preferred within three months from the date on which the proceeding, decision or order to which the application relates was communicated to the applicant:

Provided further that no order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given an opportunity of making his representation.

(5) The Chancellor shall exercise such powers and perform such other duties as are conferred on him by this Act or Statutes.

9. Visitation and inspection.- (1) The Chancellor shall, on the advice of the State Government or on his own motion, have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, laboratories and equipments and of any constituent units of the University and may cause an inquiry to be made in the like manner of any matter connected with the University.

(2) The Chancellor, shall, in every case, give due notice to the University of his intention to cause an inspection or enquiry.

(3) The Chancellor shall communicate to the University with reference to the result of such inspection or inquiry, and may after ascertaining the opinion thereon of the University advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(4) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor, the action which has been taken or is proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(5) The Chancellor may, where action has not been taken by the University to the satisfaction of the Chancellor within the time limit fixed and after considering any explanation furnished or representation made by the University, issue such directions as the Chancellor may think fit and the University shall comply with such directions.

(6) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-sections, if at any time the Chancellor is of the opinion that in any manner the affairs of the University are not managed in furtherance of the objects of the University, or in accordance with the provisions of this Act, statutes and regulations, or the special measures are desirable to maintain the standards of the University teaching, examination, research or extension, he may indicate to the University any matter in regard to which he desires an explanation, and call upon the University to offer such explanations, within such time as may be specified by him. If the University fails to offer any explanation within the time specified or offers an explanation which in the opinion of the Chancellor is unsatisfactory, the Chancellor may issue such instructions as may appear to him to be necessary and desirable in the circumstances of the case and may exercise such powers as necessary for giving effect to these instructions.

(7) The University shall furnish such information relating to the administration of the University as the Chancellor may require.

CHAPTER III**Authorities of the University**

10. Authorities of the University.- The following shall be the authorities of the University, namely:-

- (i) the Board of Management;
- (ii) the Academic Council;
- (iii) the Research Council;
- (iv) the Extension Education Council;
- (v) the Finance Committee;
- (vi) the Faculties including Post-graduate studies and their Board of Studies;
- (vii) such other bodies of the University as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

11. The Board of Management and its constitution.-

(1) The Chancellor shall as soon as may be after the first Vice-Chancellor is appointed, constitute the Board of Management.

(2) The Board of Management shall consist of the following:-

- (i) the Vice-Chancellor *Ex-officio*
Chairman;
- (ii) the Secretary to the Government *Ex-officio*
in-charge of the Agriculture
Department or his nominee not
below the rank of Deputy
Secretary Member;
- (iii) the Secretary to the Government *Ex-officio*
in-charge of the Finance
Department or his nominee not
below the rank of Deputy
Secretary Member;
- (iv) the Secretary to the Government *Ex-officio*
in-charge of the Higher
Education Department or his
Member;

- nominee not below the rank of Deputy Secretary
- (v) the Secretary to the Government in-charge of the Animal Husbandry Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary *Ex-officio* Member;
- (vi) one Member of Rajasthan Legislative Assembly to be nominated by the Speaker of the Rajasthan Vidhan Sabha Member;
- (vii) two eminent educationists/scientists from the field of Agriculture to be nominated by the Government Member;
- (viii) one progressive farmer from within the jurisdiction of the University to be nominated by the Government Member;
- (ix) one distinguished agro-industrialist to be nominated by the Government Member;
- (x) one outstanding woman social worker having background of rural advancement to be nominated by the Government Member;
- (xi) one representative from the Indian Council of Agricultural Research Member;
- (xii) one Director to be nominated by the Vice-Chancellor Member;
- (xiii) one Dean to be nominated by the Vice-Chancellor Member;

- (xiv) one Professor to be nominated Member;
by the Vice-Chancellor
- (xv) Registrar Secretary.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, expression “Secretary to the Government in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(3) The term of the office of the members of the Board other than the *ex-officio* members shall be two years.

(4) No action or proceedings of the Board shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Board.

(5) One third of the members of the Board shall form quorum at a meeting of the Board:

Provided that if a meeting of the Board is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting called for transaction of the same business.

(6) The members of the Board other than the officers of the University shall not be entitled to any remuneration for the performance of their functions under this Act except such daily and travelling allowances as may be prescribed.

(7) No officer or other employee of the University shall be eligible to be a member of the Board under clause (vii) to (xi) of sub-section (2).

(8) The Board for the purpose of consultation may invite any person having experience or special knowledge on any subject under consideration to attend its meeting and such person may speak or otherwise take part in the proceedings of such meeting but shall not be entitled to vote, however, he shall be entitled to such allowances for attending the meeting as may be prescribed.

(9) Normally the Board shall on dates to be fixed by the Vice-Chancellor meet once in every three months, however, Vice-Chancellor may, whenever he thinks fit, and shall, upon the

requisition in writing signed by not less than five members of the Board, convene a special meeting of the Board.

12. Powers and functions of the Board.- (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Board shall be the Chief Executive body of the University and shall manage and supervise the properties and activities of the University and shall be responsible for the conduct of all administrative affairs of the University not otherwise provided for in this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Board shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

- (i) to consider and approve the financial requirements, estimates and the budget of the University;
- (ii) to hold and control the property and the funds of the University and issue any general directive on behalf of the University ;
- (iii) to accept or transfer any property on behalf of the University;
- (iv) to administer funds placed at the disposal of the University for the purpose intended;
- (v) to arrange for the investment and withdrawal of the funds of the University ;
- (vi) to borrow money for capital investments with prior approval of the State Government and make suitable arrangements for its repayment;
- (vii) to accept on behalf of the University trusts, bequests and donations;
- (viii) to consider and approve the recommendations of the Academic Council, Research Council and Extension Education Council wherever required;
- (ix) to direct the form and use of the common seal of the University ;
- (x) to appoint such committees and bodies as it may deem necessary and set down the terms of reference

thereof in accordance with the provisions of this Act and the Statutes;

- (xi) to grant affiliation to colleges or institutes on the recommendation of the Academic Council or withdraw such affiliation;
- (xii) to consider and approve the establishment of a new department, division, centre or research station or sub-station or abolition of any one of them or otherwise reconstitution of department, divisions, research stations or centre on the recommendation of the Academic Council;
- (xiii) to consider and approve establishment of a new college Faculty, amalgamation of two or more constituent colleges or Faculties into a single constituent college or Faculty or abolition of a college or Faculty or reconstitution of any of the existing Faculties on the recommendation of the Academic Council; and
- (xiv) to approve the recommendations of the selection committee for appointment, in the prescribed manner, of officers, teachers, employees of the rank of Assistant Registrar and above in the University.

13. The Academic Council.- (1) The Academic Council shall consist of the following, namely:-

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| (i) the Vice-Chancellor | <i>Ex-officio</i>
Chairman; |
| (ii) the Director, Research | <i>Ex-officio</i>
Member; |
| (iii) the Director, Extension Education | <i>Ex-officio</i>
Member; |
| (iv) the Director, Prioritization,
Monitoring and Evaluation | <i>Ex-officio</i>
Member; |
| (v) the Director Students Welfare | <i>Ex-officio</i>
Member; |

(vi) the Director, Human Resource Development	<i>Ex-officio</i> Member;
(vii) the Chairpersons of all Faculties	<i>Ex-officio</i> Member;
(viii) Deans of all constituent colleges	<i>Ex-officio</i> Member;
(ix) the Controller of Examinations	<i>Ex-officio</i> Member;
(x) the University Heads of all the departments from each Faculty (from teaching campuses only not below the rank of Associate Professor)	Member;
(xi) one teacher of the Professor rank from each Faculty to be nominated by the Vice-Chancellor on rotational basis	Member;
(xii) one eminent Agricultural Educationist from outside of the University to be nominated by the Vice-Chancellor	Member;
(xiii) the Registrar	Member;
(xiv) the Director of Education	Secretary.

(2) The Academic Council may co-opt as members not more than four persons in such manner as may be prescribed so as to secure adequate representation, of different sectors of agriculture and allied fields.

(3) All members of the Academic Council other than the *ex-officio* members and members referred in sub-section (2) shall hold office for a term of two years.

(4) One third of the members of the Academic Council shall form quorum at a meeting of the Council:

Provided that if a meeting of the Council is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting for the transaction of the same business.

(5) Normally the Academic Council shall meet once in every four months on such dates as may be fixed by the Vice-Chancellor, however, special meetings of the Academic Council can be called by the Vice-Chancellor.

14. Powers and functions of the Academic Council.- (1)

The Academic Council shall subject to the provisions of this Act and the Statutes have the power of prescribing by regulations all courses of study and determining curricula, and shall have general control on teaching and other educational programmes within the University, and shall be responsible for the maintenance of standards thereof.

(2) The Academic Council shall have power to make regulations consistent with this Act and the Statutes relating to all academic matters and also to amend or repeal them.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Academic Council shall have power-

- (i) to advise the Board and Vice-Chancellor on all academic matters including the control and management of libraries and affiliation of colleges to the privileges of the University;
- (ii) to make recommendation for the institute of Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships and other teaching posts including posts in research and extension education;
- (iii) to make recommendation for the constitution or reconstitution of departments or Faculties of teaching, research and extension education;
- (iv) to make regulations regarding the admission of students to the University and to determine the number of students to be admitted;
- (v) to make regulations relating to the courses of study leading to degrees, diplomas and certificates;
- (vi) to make regulations relating to the conduct of examinations and to maintain and improve standards of education;

- (vii) to make recommendation to the Board regarding conferment of honorary degree;
- (viii) to make recommendations regarding the qualifications to be prescribed for teachers in the University ; and
- (ix) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed on it under the provisions of this Act or by the Board or by the Vice-Chancellor.

15. Research Council.- There shall be a Research Council consisting of the following, namely:-

- (i) the Vice-Chancellor *Ex-officio* Chairman;
- (ii) the Directors of Agriculture/ Horticulture/ Fisheries Department of the Government and Chief Conservator of Forests, Rajasthan (depending upon research mandate and programmes of the University) Member;
- (iii) all Directors of the University Member;
- (iv) all Deans of the Faculties Member;
- (v) all Zonal Directors of Research and Extension Member;
- (vi) all University Heads of departments Member;
- (vii) two scientists of eminence from outside of the University to be nominated for particular meeting by the Vice-Chancellor for their specialized knowledge of subjects on the agenda of meetings Member;
- (viii) the Research Council may co-opt as members not more than four persons for such period and in Member;

such manner as may be prescribed
as to secure adequate
representation of different sectors
of agriculture and allied fields

(ix) the Director, Research Secretary.

16. Functions of Research Council.- The Research Council shall consider and make recommendations in respect of-

- (i) research programmes and projects undertaken or to be undertaken by the various units of the University in the State in the field of agriculture and other allied sciences with a view to promote effective co-ordination;
- (ii) physical, fiscal and administrative facilities required for implementing research projects;
- (iii) orienting research to meet farmers' needs;
- (iv) integration of research, extension education and teaching and participation of research workers in teaching and extension education programme;
- (v) any other matter pertaining to research programme which may be referred to by the Vice-Chancellor or the Board or any other authority of the University .

17. Extension Education Council.- There shall be an Extension Education Council consisting of the following, namely:-

- (i) the Vice-Chancellor *Ex-officio*
Chairman;
- (ii) the Secretary to Government in-charge of the Agriculture Department Member;
- (iii) the Directors of Agriculture/ Horticulture/ Fisheries Member;
Department of the Government and Chief Conservator of Forests, Rajasthan
(depending upon extension

- mandate and programmes of the University)
- (iv) all Directors of the University Member;
- (v) all Deans of the Faculties Member;
- (vi) all University Heads of the departments, all Zonal Directors and all programme Coordinators of Krishi Vigyan Kendras within the jurisdiction of the University Member;
- (vii) two eminent persons in the field of extension education from outside of the University nominated by the Vice-Chancellor for any particular meeting in accordance with the requirement of the agenda Member;
- (viii) three progressive farmers having specialization in general agriculture, horticulture or other allied branches to be nominated by the Vice-Chancellor for their specialized knowledge and experience Member;
- (ix) one representative each of the following organizations as per request of the Vice-Chancellor:-
- (a) Rural Development Department of the Government;
- (b) Co-operative Department of the Government;
- (c) State Agro-Industries Development Corporation;
- (d) Irrigation Department of the Government;

- (e) Fertilizer Corporation of India;
- (f) National Seeds Corporation; any other Agro-Industries or Agro-Service Organizations;
- (x) the Director, Extension Secretary. Education

Explanation.- For the purposes of this sub-section, expression “Secretary to the Government in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

18. Functions of the Extension Education Council.- Extension Education Council shall consider and make recommendations in respect of-

- (i) the extension education programmes and projects of the University ;
- (ii) co-ordination of extension education activities for improvement of agriculture and allied branches and for the development of rural communities;
- (iii) development of farmers’ education and training and advisory services, identification and resolution of field problems and transmission of information;
- (iv) methodology of extension education;
- (v) integration of extension education with teaching and research in the University and participation of teachers and research workers in extension education programmes;
- (vi) any other matter referred to it by the Vice-Chancellor, Board or any other authority of the University.

19. Finance Committee.- (1) The Finance Committee shall consist of-

- | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| (i) | the Vice-Chancellor | <i>Ex-officio</i>
Chairman; |
| (ii) | the Secretary to Government in-charge of the Finance Department, or his nominee not below the rank of Deputy Secretary | Member; |
| (iii) | the Secretary to the Government in-charge of the Agriculture Department, or his nominee not below the rank of Deputy Secretary | Member; |
| (iv) | the Director, Research/Extension Education/ Education (one Director by rotation every year to be nominated by the Vice-Chancellor) | Member; |
| (v) | one nominee of the Board who be the non-official member of the Board | Member; |
| (vi) | the Comptroller | <i>Ex-officio</i>
Secretary. |

Explanation.- For the purposes of this sub-section, expression "Secretary to the Government in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(2) Finance Committee shall have the following functions, namely:-

- (i) to examine the annual accounts and budget estimates of the University and to advise the Board thereon;
- (ii) to review the financial position of the University from time to time; and
- (iii) to make recommendations to the Board on all matters relating to the finances of the University .

20. Faculties and their Board of Studies.- (1) The University shall have the Faculties of Agriculture, Agricultural Engineering, Home Science and Basic Science and such other Faculties as may be prescribed.

(2) These Faculties shall comprise of such departments, divisions or centres as may be prescribed, however, depending on the nature of the subject and functions, one department or centre may cater to the needs of more than one Faculty.

(3) Each Faculty shall consist of such members as may be prescribed and Dean of the concerned Faculty shall be the Chairman of the Faculty.

(4) Functions of each Faculty shall be as follows:-

- (i) to review teaching programme and suggest improvement thereof;
- (ii) to consider the recommendations of the respective Board of Studies and to place the same before the Academic Council for consideration and approval;
- (iii) the Faculties shall be responsible for Bachelor and Post-graduate degree programme; and
- (iv) to perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Council or Vice-Chancellor.

(5) There shall be a Board of Studies for each Faculty, the constitution of which shall be such as may be prescribed and Dean of the Faculty concerned shall be the Chairman of the Board of Studies.

(6) The Board of Studies shall have the following functions, namely:-

- (i) to propose to the Faculty concerned, the courses of study and curricula for various programmes of instructions offered by that Faculty; and

- (ii) to perform such other functions as may be directed by the Dean of the Faculty concerned, other authorities and Vice-Chancellor.

21. Constitution of Committees.- Every authority shall have the power to appoint committees which may unless otherwise provided in this Act or Statutes consist of the members of the authority and such other persons as members as it may deem fit.

22. Provisions in relation to membership of authorities.- (1) Save as otherwise provided in this Act, if any member other than *ex-officio* member of any authority or body of the University is unable by reason of his death, resignation, removal or otherwise to complete his full term of office, the vacancy so caused shall, as soon as convenient, be filled by the appointment, nomination or co-option, as the case may be, and the person so appointed, nominated or co-opted shall fill such vacancy for the unexpired portion of the term for which the member in whose place such person is appointed, nominated or co-opted would otherwise have continued in office.

(2) The Board may remove any person from membership of any authority or body of the University on the ground that such person has been convicted of any offence involving moral turpitude or conduct not befitting the office held by the concerned member with the approval of the Chancellor:

Provided that prior approval of the Chancellor shall not be necessary where such a person has been convicted by a competent court of law:

Provided further that no such order shall be made against any person without giving him a reasonable opportunity of being heard.

(3) A person who is a member of any authority or body of the University as a representative of another authority or body, whether of the University or not, shall cease to be a member of such authority or body, if before the expiry of the term of his

membership he ceases to be a member of that other authority or body by which he was appointed or nominated:

Provided that he may continue to hold his office till his successor is appointed or nominated, as the case may be.

(4) Whenever any person becomes a member of any authority or body of the University by virtue of the office held by him, he shall forthwith cease to be a member of such authority or body, if he ceases to hold such office before the expiry of the term of his membership:

Provided that he shall not be deemed to have ceased to hold his office merely by reason of his proceeding on leave for a period not exceeding four months.

(5) Any member, other than an *ex-officio* member, of any authority or body of the University may resign his office by letter addressed to the Vice-Chancellor and such resignation shall take effect from the date on which the same is accepted by the authority competent to fill the vacancy or on the expiry of three months from the date of its receipt by the Vice-Chancellor, whichever is earlier.

23. Validity and protection of acts.- (1) No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid by reason of the existence of any vacancy among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found to have been not entitled to do so.

(2) Save as otherwise provided in this Act, all the acts done or orders made in good faith by the University or any of its authorities shall be final and no suit shall be instituted against or damages claimed from the University or its authority for anything done or purported to have been done in pursuance of this Act or the Statutes or the Regulations.

(3) No suit or other legal proceeding shall lie against any officer or other employee of the University in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any Statutes.

CHAPTER IV

Officers of the University

24. Officers.- The following shall be the officers of the University, namely:-

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Directors;
- (iii) the Deans;
- (iv) the Registrar;
- (v) the Comptroller;
- (vi) the University Librarian;
- (vii) the Director, Students' Welfare;
- (viii) the Controller of Examinations;
- (ix) the Estate Officer; and
- (x) such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

25. The Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of -

- (a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;
- (b) the Director General, Indian Council of Agriculture Research or his nominee;
- (c) one person nominated by the Chancellor; and
- (d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(2) A person who has attained academic excellence and demonstrated leadership qualities in agriculture education and has the minimum qualifications that is to say at least six years' experience on the post of Professor or equivalent in teaching or research or extension system of agriculture of any university or

research centre in the country, out of which at least three years of experience should be as Dean of the Faculty of any agriculture university or Principal or Dean of any agriculture college or Director as defined in clause (k) of section 2.

(3) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(4) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(5) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (6).

(6) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (5), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on the function of the office of the Vice-Chancellor.

(7) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(8) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(9) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institute or university, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(10) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(11) The Vice-Chancellor shall be entitled for travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(12) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

- (a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and
- (b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.

26. Powers and duties of the Vice- Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive academic officer of the University and *ex-officio* Chairman of the Board, Academic Council and other authorities and shall in the absence of the Chancellor preside at the convocation of the University and confer degrees on persons entitled to receive them.

(2) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for due maintenance of discipline in the University.

(3) The Vice-Chancellor shall convene meetings of the Board, Academic Council, Research Council and Extension Education Council.

(4) The Vice-Chancellor shall ensure faithful observance of the provisions of this Act and Statutes and Regulations.

(5) The Vice-Chancellor shall be responsible for the presentation of the annual financial estimates and the annual accounts to the Board.

(6) The Vice-Chancellor shall, where immediate action is called for, have power to make an order so as to exercise any power or perform any function which would ordinarily have been exercised or performed by any other authority under this Act or the Statutes and shall in such case as soon as may be thereafter report his action to such authority and if such authority disagrees with the action of the Vice-Chancellor, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(7) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (6) affects any person in the service of the University to his disadvantage such person may prefer an appeal to the Board within thirty days from the date on which such person has been served with a notice of the action taken.

(8) If the Vice-Chancellor is satisfied that a decision of the Board is not in the best interest of the University, he shall refer it to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(9) Subject to the provisions of the preceding sub-section, the Vice Chancellor shall give effect to the decisions of the Board regarding the appointments, promotions and dismissal of officers, teachers and other employees of the University.

(10) The Vice-Chancellor shall be responsible for the proper administration of the affairs of the University and for a close co-ordination and integration of teaching, research and extension education.

(11) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as are conferred or imposed on him under the provisions of this Act and the Statutes.

27. Registrar.- (1) The Registrar shall be the administrative officer of the University. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

(2) The Registrar shall be appointed by the State Government from one of its officers of the Rajasthan Administrative Service (not below selection scale) or of Indian Administrative Service.

(3) When the office of the Registrar is vacant, or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other reason, unable to exercise the powers, perform the functions and discharge the duties of his office, the powers, functions and duties of the office of the Registrar shall be exercised, performed and discharged by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(4) The Registrar shall be the *ex-officio* Secretary to the Board.

(5) It shall be the duty of the Registrar-

(a) to be the custodian of the records, the common seal and such other properties of the University as the Board shall commit to his charge; and

(b) to issue all notices convening meetings of the Board, the Academic Council, the Faculties, the Board of Studies, the Board of Examinations and the Planning Board and of any committee appointed by the authorities of the University.

(6) (i) Where any proceedings or resolution of the Board or order of the Vice-Chancellor is inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes made thereunder, it shall be the duty of the Registrar to tender advice to the Board or the Vice-Chancellor mentioning the relevant provisions and to record in the proceedings to the meeting of the Board or on the order of the Vice-Chancellor the fact that he had tendered such advice and thereupon put up a note of dissent on such proceedings, resolution or the order, as the case may be, and ensure the communication of the matter to the Chancellor or any officer authorized by him in this behalf within seven days of passing such resolution or order, or as the case may be, undertaking such proceedings.

(ii) After examining the note of dissent reported under sub-clause (i), the Chancellor or the officer authorized in this behalf by him, may make such interim or final order as he and it thinks fit, which shall be binding on the University.

(7) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other functions and discharge such other duties as may be directed by the Vice-Chancellor or assigned to him by the Board.

28. Comptroller.- (1) The Comptroller shall be a whole-time salaried officer of the University to be posted by the Government from its officers of the Rajasthan Accounts Service of the rank of selection scale and the above:

Provided that a person appointed as Comptroller shall retire from office if, during the term of his office, he completes the age of superannuation.

(2) The Comptroller shall hold office for a period of three years.

(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Comptroller shall be such as may be prescribed.

(4) When the office of the Comptroller is vacant, or when the Comptroller is, by reason of illness or absence or any other cause unable to exercise the powers, perform the functions and discharge the duties of his office, the powers, functions and duties of the office of the Comptroller shall be exercised, performed and discharged by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Comptroller shall be the *ex-officio* Secretary to the Finance Committee.

(6) The Comptroller shall-

- (a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise the University as regards its financial policy;
- (b) manage the property and investments of the University including trust and endowed property in

accordance with the decision of the Finance Committee and the Board; and

- (c) exercise such other powers and perform such other financial functions, as may be assigned to him by the Board, or as may be prescribed:

Provided that the Comptroller shall not incur any expenditure or make any investment exceeding such amount as may be prescribed except with the previous approval of the Board.

(7) Subject to the control of the Board, the Comptroller shall-

- (a) ensure that the limits fixed by the Board for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended for the purposes for which they are granted or allotted;
- (b) be responsible for the preparation of annual accounts, financial estimates and the budget of the University and for their presentation to the Finance Committee and the Board;
- (c) keep a constant watch on the cash and bank balances and of investments;
- (d) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;
- (e) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipments are maintained up-to-date, and that stock checking is conducted in respect of equipments and other consumable materials in all offices, laboratories, colleges and institutes maintained by the University;
- (f) bring to the notice of the Vice-Chancellor and the Registrar any unauthorized expenditure or other financial irregularity and suggest appropriate action to be taken against persons at fault; and

- (g) call from any office, laboratory, constituent college maintained by the University, any information or returns as he may consider necessary for the exercise of his powers, performance of his functions or discharge of his duties.

29. Directors, Deans, Librarian, Controller of

Examinations etc.- (1) (a) There shall be a Director of Education who shall be responsible for academic coordination for teaching, research and extension, admission of Under Graduate and Post-graduate and management and control of examinations at Under Graduate and Post-graduate levels. He will be concerned with the policy matters and system regarding resident instructions in the University and development of educational technology.

(b) He shall be responsible for maintaining permanent records of the Academic Council, performance of the students of the University including the courses taken, credits obtained, degrees, prizes or other distinctions and other items pertaining to the academic performance and the discipline of the students.

(c) He shall function as Secretary of the Academic Council.

(2) There shall be a Director of Research who shall be responsible for the direction and co-ordination of research programmes in the University as laid down in section 31 and efficient working of research stations.

(3) There shall be a Director of Extension Education who shall be responsible for the agriculture extension education programmes as laid down in section 32.

(4) There shall be a Director of Human Resources Development who shall be responsible for human resources development.

(5) There shall be a Dean for each constituent college and senior most shall be the Chairman of the Faculty and the Board of Studies of the concerned Faculty and shall be responsible to the Vice-Chancellor for the organization and implementation of the teaching programmes of the Faculty.

(6) There shall be a Librarian who shall be responsible for the maintenance and management of the University Library, to guide and co-ordinate the working in the libraries of the various constituent units of the University, to prepare the annual estimate of operational and developmental requirements of all the libraries of the University for incorporation in the budget estimates.

(7) There shall be a Director Students' Welfare, who shall have the following duties:-

- (a) to make arrangements and supervise management of students' hostel, cafeteria and mess;
- (b) to plan and organize students' extra-curricular activities such as sports, cultural and other recreational activities of the University ;
- (c) to plan and direct the programmes of students' advisement and counselling and to enlist the co-operation of prospective employers and employment agencies to assist in the placement of students of the University and to promote discipline amongst the students of the University ;
- (d) to supervise and control medical and health services and other welfare measures in the University; and
- (e) to make arrangements for scholarships, stipends, part-time employment and travel facilities for the study tour of the students.

(8) There shall be a Controller of Examinations who shall be responsible for conducting various examinations of the University and declaration of results in time.

(9) There shall be an Estate Officer who shall be the custodian of all the land and buildings of the University and shall be responsible to maintain them.

(10) Subject to the provisions of this Act, the officers of the University referred to in clauses (ii) to (x) of section 24 shall perform such other duties as may be prescribed or as may be

assigned to them from time to time by the Board or the Vice-Chancellor.

30. Terms and conditions and appointments of the teachers, officers of the University.- (1) The teachers of the University shall be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of Board of Management of the University.

(2) The officers of the University referred to in clauses (ii) to (x) of section 24 shall be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the concerned authority of the University on such terms and conditions, as may be prescribed:

Provided that the Vice-Chancellor may make appointments of such officers as a temporary measure, for period of six months under intimation to concerned authority of the University.

(3) The selection of the teachers and officers of the University shall be made in accordance with the procedure as provided under the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) and the provisions of the said Act shall be applicable subject to the modification that as respect to the selection of a Professor, Associate Professor and Assistant Professor for appointment in the University, the Committee referred to in section 5 of the said Act shall, besides other members specified in column 2 against entry No. 2 and 3 in the First Schedule of the said Act, consist of the Director Research and the Director Extension as members.

CHAPTER V

Education, Research and Extension Education

31. Education.- (1) Subject to the provisions of this Act, education in the University shall include Bachelor's, Master's and Doctoral degree programmes and short term diploma courses in the disciplines of agriculture including basic and applied science, Agriculture Engineering and Technology, Home Science, Dairy and Food Science and Food Technology and other allied sciences as may be prescribed.

(2) Educational programmes may be based on modern system of agricultural education with the objective of producing competent and practical oriented graduates and post-graduates to handle production, management, research, extension education and teaching work in the field of agriculture and allied branches.

32. Research.- Subject to the provisions of this Act and the Statutes, research programmes in the University shall carry on research (fundamental as well as applied) on the problems of agriculture and other allied sciences for the purpose of development of agriculture and for the benefit of rural population in the State.

33. Extension education.- (1) Extension education programme shall be established in the University and shall subject to the provisions of this Act and the Statutes, make useful information based upon findings of research available to farmers and others to help and solve their problems. It shall conduct demonstrations and training programmes for the benefit of students, extension workers and farmers. Extension education shall be co-ordinated with the other functions of the University and other appropriate agencies of the State.

(2) The University shall be responsible for the agricultural extension education activities in the State necessary to inform and demonstrate to the farmers, the findings of research on improved practices essential to improve rural living and to increase agricultural production with special emphasis on food production and utilization. In order that the University may conduct such activities, the State shall transfer to the University necessary personnel facilities and funds in accordance with a plan to be developed or mutually agreed upon by the Board and the Government.

34. Co-ordination of teaching, research and extension education, integration of functions and curricula and services.-

(1) In consultation with the appropriate officers of the University, the Vice-Chancellor shall be responsible for taking such steps as

may be necessary for the full co-ordination of teaching, research and extension activities of the University .

(2) The Vice-Chancellor shall be responsible, working through the appropriate officers of the University, for seeing that conditions are established whereby there is maximum possible progress in the development of new information and technology in the natural, physical and social sciences related to agriculture and its transfer to the teaching curricula and other educational programme leading to their understanding and adoption in practice.

(3) The Vice-Chancellor shall be responsible for working through the appropriate officers and staff of the University, to see that there is an appropriate inter-relation in the different curricula and courses offered in the different Faculties of the University so as to avoid unnecessary duplication of functions between Faculties of the University and provide the students with the best course offerings and Faculty contacts feasible within the University's resources and talents.

(4) The University shall develop its programmes of research and extension education keeping in view the needs of the State and jurisdiction area in particular and provide the appropriate technical support and consultative advice to the Government departments engaged in the development work in agriculture and other allied branches.

CHAPTER VI

Funds and Accounts

35. The University Funds.- (1) The University shall have a General Fund to which shall be credited,-

- (i) its income from fees, endowments and grants and income from properties of the University including hostel, experimental stations and farms;
- (ii) contribution and grants made by the Government on such conditions as are consistent with the provisions of this Act; and

(iii) other contributions, grants, donations, benefactions and loans and other receipts.

(2) The University shall form a fund called the Foundation Fund from contributions and grants made by the Central Government or the State Government or agencies approved by the Central or State Government for being credited to that fund and such other sums as may be specified by the Board, shall be credited to this fund, and the Board may, as and when necessary, retransfer such amount as may be specified, from the Foundation Fund to the General Fund, in the manner prescribed.

(3) The University shall furnish statements of accounts, reports and other particulars to the Government relating to any grant made by the Government and shall take such action and furnish such statements, accounts, reports and other particulars relating to the utilization of any grant within such time and in the manner as the Government may direct.

(4) It shall be competent for the University in furtherance of its objects to accept the grants from the Government or any other State Government or the Central Government or statutory bodies or endowments or donations under such conditions as may be agreed upon between the University and the donor.

36. Provident fund, pension and insurance.- (1) The University shall create for the benefit of its officers, teachers, ministerial staff and other employees, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, such pension, gratuity, insurance, provident fund as it may deem fit.

(2) For such pension, gratuity, insurance and provident fund so constituted by the University, the Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 (Central Act No. 19 of 1925) shall apply to such funds as if it were Government Provident Fund:

Provided that the University shall have power in consultation with the Finance Committee and the Board to invest provident fund amount in such manner as it may determine.

37. Management of Funds.- The General Fund, Foundation Fund and other funds of the University shall be managed in accordance with the provisions of the Statutes.

38. Accounts and Audit.- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The Comptroller shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the annual financial estimates for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the annual financial estimates prepared by the Comptroller shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance Committee for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Comptroller who shall take action in accordance therewith.

(4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.

(5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the Chancellor with such comments as may be deemed necessary.

(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.

39. Government grants.- The Government shall every year make the following lump sum grants to the University, namely:-

- (i) a grant not less than the expenditure incurred in the University on agricultural education, research and extension education;

- (ii) a grant not less than the estimated net expenditure of pay and allowances of the staff contingencies, supplies and services of the University other than in respect of the activities in various organizations, referred to above in clause (i) ;
- (iii) a grant to meet such additional items of expenditure recurring and non- recurring as the Government deems necessary for the proper functioning of the University;
- (iv) the State Government shall also make non-lapsable lump sum grant to the University in respect to schemes included in the Five Year Plan and transferred to it for implementation by the University of an amount equal to the net outlay in the annual plan. Adjustments may be made for the anticipated assistance from the Central Government and other agencies sponsoring such schemes provided such assistance may come to the University directly, rather than through the State Government.

40. Control of the State Government.- Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

- (a) creation of the new posts of teachers, officers or other employees;
- (b) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;
- (c) grant of any additional/special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including *ex-gratia* payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;

- (d) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;
- (e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;
- (f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received; and
- (g) take any decision resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

Explanation.- The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may, in the long term, be likely to cause financial implications to the State Government.

41. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- (1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.

(2) If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.

CHAPTER VII

Statutes and Regulations

42. Statutes.- Subject to the provisions of this Act, the Statutes of the University may provide for any matter connected

with the affairs of the University and shall in particular, provide for the following, namely:-

- (1) constitution, powers and duties of the Authorities;
- (2) creation, composition and functions of other bodies or committees, necessary or desirable for improving the academic life of the University;
- (3) designations, powers, functions, duties, manner of appointment and selections and terms and conditions of service of the officers other than Vice-Chancellor;
- (4) classification, qualification and manner of appointment, terms and conditions of services and duties of teachers and non-teaching staff of the University;
- (5) terms and conditions of service of the Vice-Chancellor;
- (6) establishment, amalgamation, sub-divisions or abolition of Faculties, divisions, department, research stations, extension centres or other units of the University;
- (7) establishment of pension and insurance schemes for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and the rules, terms and conditions of such schemes;
- (8) holding of convocations to confer degrees and diplomas;
- (9) conferment and withdrawal of honorary degrees and academic distinctions;
- (10) conditions of service, remunerations and allowances including travelling and daily allowances to be paid to officers, teachers and other persons employed under the University;
- (11) conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies and examiners;

- (12) procedure and terms and conditions of affiliation and of withdrawal of such affiliation, and terms and conditions of fees for affiliation, to colleges or institutes;
- (13) management of constituent colleges, centres, divisions, departments, regional stations or other institutes founded or maintained by the University;
- (14) conducting examination and awarding degrees to students of affiliated colleges as per rules and regulations laid down by the University;
- (15) constitution of Selection Committee for appointment of staff other than teachers and officers; and
- (16) all other matters which by this Act are to be provided by the Statutes.

43. Statutes how made.- (1) Statutes under this Act shall be proposed by the Board and submitted to the Chancellor for his assent and shall come into force only after the assent is received and notified by the Vice-Chancellor.

(2) Any Statute may be amended or repealed by the Board with the assent of the Chancellor.

(3) All Statutes made under this Act shall be published in the Official Gazette.

44. Regulations.- (1) The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes for,-

- (i) laying down the procedure for their meetings and the number of members required to form the quorum;
- (ii) providing for matters which by this Act and the Statutes are to be regulated by Regulations; and
- (iii) providing for any other matter solely concerning the authority and not provided for by this Act and the Statutes.

(2) The Academic Council may subject to the provisions of this Act and the Statutes, make Regulations providing for courses of studies, system of examination, academic calendar, award of degrees and diplomas of the University and other matters related to resident instruction.

(3) The Regulations made by any authority of the University shall be subject to such direction as the Board may from time to time give in this behalf.

(4) Academic Council of the University may make Regulations for,-

- (i) the holding of convocations to confer degrees and diplomas;
- (ii) the conferment of honorary degrees, academic distinctions and withdrawal of degrees;
- (iii) the establishment and abolition of hostels maintained by the University ;
- (iv) the institute of fellowships, scholarships, stipend, bursaries, medals and prizes and the conditions of award thereof;
- (v) the entrance or admission of the students to the University and their enrolment and continuance as such and the conditions and procedures for dropping students from enrolment;
- (vi) the fees which may be charged by the University ;
- (vii) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University ;
- (viii) the conditions under which students shall be admitted to the degrees, diplomas, or other courses and examinations of the University and their eligibility for the award of degrees and diplomas;
- (ix) the conditions for conferment of degrees and other academic distinctions;
- (x) the maintenance of discipline among the students of the University;

- (xi) the special arrangements, if any, which may be made for residence, discipline and teaching of women students and the provision of special courses of study for women;
- (xii) the conditions of residence of students of the University and the levy of fees for residence in hostels; and
- (xiii) the recognition and management of hostels not maintained by the University.

CHAPTER VIII

Miscellaneous

45. Residence of students.- The students shall reside in the accommodation maintained by the University or approved by the Vice-Chancellor subject to the conditions as may be prescribed. However, the Vice-Chancellor or an authorized officer of the University may permit the student(s) to reside with their parents or in private accommodations when no such accommodation is available with the University.

46. Annual Report.- The annual report of the University shall be prepared by the Registrar or Director, Prioritization, Monitoring and Evaluation, under the direction of the Vice-Chancellor normally within six months from the close of the financial year and circulated to the members of the Board one month before the meeting at which it is to be considered. The Board shall after consideration of the annual report forward a copy thereof with comments to the Government. A copy of the said report shall be laid on the table of the House of the State Legislature.

47. Delegation of powers.- The Board may, by Statutes, delegate the powers exercisable by it under this Act or the Statutes made thereunder, to any authority, officer, Heads of colleges, divisions, departments, institutes or units and offices subject to such conditions and restrictions as the Board may deem proper.

48. Constitution of *ad-hoc* committees.- Notwithstanding anything in this Act and until such time as the authorities are duly constituted, the Vice-Chancellor may subject to the prior approval of the Chancellor or the Board, after it has been constituted, appoint committees temporarily to exercise, perform and discharge any of the powers, functions and duties of such authority under this Act.

49. Disputes as to constitution of authorities or bodies.- If any question arises as to whether any person has been duly appointed or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided that before taking any such decision, the Chancellor shall give the person affected thereby reasonable opportunity of being heard.

50. Legal Proceedings.- All suits and other legal proceedings by or against the University shall be instituted, prosecuted or defended on behalf of the University by the Registrar or any other officer specifically nominated in this behalf by the Vice-Chancellor.

51. Appointment to posts in connection with the affairs of the University.- (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes made thereunder, appointments to the posts and services in connection with the affairs of the University may be made by the Vice-Chancellor with the approval of the concerned authority as prescribed:

Provided that such approval of the Board shall not be necessary in respect of appointment of posts carrying scales of pay lower than the pay scale of an Assistant Professor.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act and until such time as the Statutes are made or the authorities of the University are constituted, appointments to the posts and services in connection with the affairs of the University may be made by

the Vice-Chancellor on such terms and conditions as may be approved by the Chancellor.

52. Reference to Government officers to be construed in case of change of designation as reference to corresponding officers.-Where any provision of this Act or of the Statutes, Ordinances or Regulation refer to an officer of the State Government by designation, then, if that designation is altered or that office ceases to exist the reference shall be construed as a reference to the altered designation, or as the case may be, to such corresponding officer as the State Government may direct.

53. Transitory powers of the first Vice-Chancellor.- The first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the Government for a period not exceeding one year or until such time as the Board is constituted whichever is earlier and exercise all or any of the powers conferred on the Board by this Act or the Statutes.

54. Power to transfer of persons and properties from other Universities.- The Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time, make such orders, as are deemed necessary for the transfer of-

- (a) any officer, teacher, employee or servant; or
- (b) any movable or immovable property or any rights or interests therein; or
- (c) any fund, grant, contribution, donation, aid or benefaction received, accrued or promised ; or
- (d) any dues, liabilities or obligations incurred or lawfully subsisting in favour of or against the University; or
- (e) any will, deed or other document containing any bequest, gift or trust ,

from any other University of which he is the Chancellor to the University constituted under this Act on such terms and conditions as may be determined in the order.

55. Power to transfer of colleges, institutes and units.-
(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time

being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, transfer any of the constituent colleges, institutes, hostels, offices, research stations, extension centres or any other body, agency or unit, of the Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner or the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur to the University.

(2) The control and management of any college, institute, hostel, office, research station, extension centre or any other body, agency or unit transferred under sub-section (1) shall stand vested in the University from the date of the publication of the notification under sub-section (1).

(3) The students of the college or institutes or the persons, engaged in research station or extension centre or in any other body, agency or unit so transferred to the University shall be permitted to complete their course, research or programme and the University shall make arrangements therefor.

(4) A person employed as a teacher or an employee in any college, institute, research station, extension centre or any other body, agency or unit referred to in sub-section (1) shall, from the date of notification issued under the said sub-section, be deemed to have become the teacher or, as the case may be, the employee of the University on the same terms and conditions.

56. Power to obtain information.- Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Government may, by order in writing, call for any information from the University on any matter relating to the affairs of the University and, the University shall, if such information is available with it, furnish the Government with such information within a reasonable period:

Provided that in the case of information which the University considers confidential, the University may place the same before the Chancellor.

57. Transitional provisions.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act or in the Acts of the other Universities in the State or in the Statutes or Regulations made

under any of these enactments, any student who, immediately before the commencement of this Act, was studying in a college which has been or may hereafter be admitted to the privileges of the University for degrees, diplomas or certificates of other Universities, in accordance with the Regulations of the University, shall be permitted,-

- (a) to complete his course in accordance with the curriculum of studies of the University corresponding to that of the other Agriculture University in the State;
- (b) to be examined by the University and if on the results of such examination he qualifies, be entitled to be conferred a corresponding degree or diploma or certificate of the University ; and
- (c) to appear at examination within two years of the normal period required for completing the said course of studies.

(2) In the year of the establishment of the University, University examinations of all courses in different Faculties and disciplines shall be conducted by other Universities in the State as the case may be, and in subsequent years the examination shall be conducted by the University.


58. Removal of difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, do anything which appears to it necessary for the purpose of removing the difficulty.

(2) No order made under sub-section (1) shall be questioned in any court of law on the ground that no difficulty, as is referred to in sub-section (1), existed to be removed.

(3) Every order published under this section shall, as soon as may be after its publication, be laid before House of the State Legislature.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 13, सोमवार, शाके 1943-जनवरी 03, 2022 <i>Pausa 13, Monday, Saka 1943- January 03, 2022</i>	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 3, 2022

संख्या प.2(26)विधि/2/2019.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2022 का अधिनियम संख्यांक 1)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को प्राप्त हुई)

कृषि विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "कृषि विश्वविद्यालय की विधि" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम अभिप्रेत है; और

(ख) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है।

3. कृषि विश्वविद्यालयों की विधियों का संशोधन.- (i) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित वेद्यमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कृषि शिक्षा में, आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।

(3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

- (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
- (ख) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;
- (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और
- (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए खोजबीन समिति, लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ संलग्न करेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (3) के

अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के, राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा, निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(11) कुलपति किसी भी समय, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, पद का त्याग कर सकेगा।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्णवैतनिक छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"; और

(ii) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित विद्यमान धारा के पश्चात्, स्तम्भ सं. 5 में यथा उल्लिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"कुलपति का हटाया जाना.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का

पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।"

4. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 में नयी धारा 49-क का अंतःस्थापन.- महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 8) की विद्यमान धारा 49 के पश्चात् और विद्यमान धारा 50 से पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"49-क. अन्य विश्वविद्यालयों से व्यक्तियों और सम्पत्तियों के स्थानान्तरण की शक्ति.- कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, किसी भी समय किसी अन्य विश्वविद्यालय से, जिसका कि वह कुलाधिपति है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो आदेश में अवधारित की जायें, इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय में-

(क) किसी भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी या सेवक के; या

(ख) किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति या उसमें के किन्हीं भी अधिकारों या हितों के; या

(ग) प्राप्त, प्रोद्भूत या वचनबद्ध किसी भी निधि, अनुदान, अभिदाय, संदान, सहायता, या उपकृति के; या

(घ) विश्वविद्यालय के पक्ष में या विरुद्ध उपगत या विधिपूर्वक अस्तित्वयुक्त किन्हीं भी शोध्यों, दायित्वों या बाध्यताओं के; या

(ङ) किसी भी वसीयत, दान या न्यास को अन्तर्विष्ट करने वाली किसी भी विल, विलेख, या अन्य दस्तावेज के,

स्थानान्तरण के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जो आवश्यक समझे जायें।"

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000	2000 का अधिनियम सं. 8	धारा 24	धारा 24क
2	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013	2013 का अधिनियम सं. 20	धारा 25	धारा 25क
3	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013	2013 का अधिनियम सं. 21	धारा 25	धारा 25क
4	कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013	2013 का अधिनियम सं. 22	धारा 25	धारा 25क

प्रवीर भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION

Jaipur, January 3, 2022

No. F. 2(26)Vidhi/2/2019.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Krishi Vishwavidyalayon kee Vidhiyan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (2022 Ka Adhiniyam Sankhyank 1):-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN AGRICULTURE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) ACT,
2020

(Act No. 1 of 2022)

(Received the assent of the Governor on the 30th day of December, 2021)

An

Act

further to amend the Agriculture Universities' Laws.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agriculture Universities' Laws (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Agriculture University Law" means Agriculture University Act specified in the Schedule; and

(b) "Schedule" means the Schedule to this Act.

3. Amendment of Agriculture Universities' Laws.- (i) The existing section as mentioned in column No. 4 against each of the Agriculture Universities' Laws as mentioned in column No. 2 of the Schedule, shall be substituted by the following, namely:-

“The Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University.

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is, a distinguished academician in agriculture education having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/ or academic administrative organization and, of a highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment.

(3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Search Committee consisting of-

- (a) one person nominated by the Board;
- (b) the Director General, Indian Council of Agricultural Research or his nominee;
- (c) one person nominated by the Chancellor; and
- (d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of Committee.

(4) An eminent person in the sphere of higher education not connected with the University and its colleges shall only be eligible to be nominated as the member of the Search Committee.

(5) The Search Committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice-Chancellor.

(6) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the Search Committee shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as Vice-Chancellor, the Search Committee shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.

(7) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(8) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(9) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (3), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (10).

(10) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section(9), the Registrar shall forth with report the matter to the Chancellor, who shall make,

on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor by any other Vice-Chancellor of a State University.

(11) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(12) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(13) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(14) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(15) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(16) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

- (a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and
- (b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.”; and

(ii) after the existing section as mentioned in column No. 4 against each of the Agriculture Universities' Laws as mentioned in column No. 2 of the Schedule, new section as mentioned in column No. 5 shall be inserted, namely:-

“Removal of Vice-Chancellor.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if at any time, on the report of the State Government or otherwise, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, in consultation with the State Government, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may, in consultation with the State Government, order that till further order-

- (a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;
- (b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in order.”

4. Insertion of new section 49-A, Rajasthan Act No. 8 of 2000.- After the existing section 49 and before the existing section 50 of the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000 (Act No. 8 of 2000), the following shall be inserted, namely:-

“49-A. Power to transfer of persons and properties from other Universities.- The Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time, make such orders, as are deemed necessary for the transfer of-

- (a) any officer, teacher, employee or servant; or
- (b) any movable or immovable property or any rights or interests therein; or
- (c) any fund, grant, contribution, donation, aid or benefaction received, accrued or promised ; or
- (d) any dues, liabilities or obligations incurred or lawfully subsisting in favour of or against the University; or
- (e) any will, deed or other document containing any bequest, gift or trust,

from any other University of which he is the Chancellor to the University constituted under this Act on such terms and conditions as may be determined in the order.”

SCHEDULE
(See section 3)

1	2	3	4	5
1	The Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000	Act No. 8 of 2000	Section 24	Section 24A
2	The Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner Act, 2013	Act No. 20 of 2013	Section 25	Section 25A
3	The Agriculture University, Jodhpur Act, 2013	Act No. 21 of 2013	Section 25	Section 25A
4	The Agriculture University, Kota Act, 2013	Act No. 22 of 2013	Section 25	Section 25A

प्रवीर भटनागर,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।